[2018] 3 एस. सी. आर. 884

केनरा बैंक

वी.

एन. जी. सुब्बाराया शेट्टी और ए. एन. आर.

(2018 की सिविल अपील संख्या 4233)

अप्रैल 20,2018

[आदर्श कुमार गोयल और आर. एफ. नरीमन, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - एस. 11-रेस जुडिकाटा-सामान्य नियम और इसके अपवाद-किसी वैधानिक पर दिया गया गलत निर्णय।

पूर्व वाद में निषेध-वैधानिक निषेध को प्रभावी नहीं किया गया-बाद के वाद में न्यायिक याचिका-आयोजित: कानून का एक मुद्दा जो बाद के मुकदमे में समान पक्षों के बीच उत्पन्न होता है या

यदि पूर्ववर्ती वाद या कार्यवाही में सांविधिक निषेध पर दिए गए किसी त्रुटिपूर्ण निर्णय द्वारा सांविधिक निषेध को प्रभावी नहीं बनाया जाता है-तथ्यों पर, बैंक के बकाया का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थी, ट्रेडमार्क के असाइनमेंट के लिए बैंक प्रबंधक के साथ असाइनमेंट डीड पर हस्ताक्षर किए और कई महीनों के बाद बैंक

असाइनमेंट डीड को रद्द कर दिया गया-पक्षों के बीच मुकदमे, पहली कार्यवाही, दूसरी कार्यवाही-ट्रायल कोर्ट और एस में निहित वैधानिक निषेध का इलाज करने वाली पहली अपीलीय अदालत। 45 (2) ट्रेड मार्क्स अधिनियम का न्यायनिर्णायक के रूप में, गलत था-- किसी भी न्यायालय ने एस को स्वीकार नहीं किया और/या व्याख्या नहीं की। 45 , जो यह स्पष्ट करता है कि असाइनमेंट विलेख, यदि अपंजीकृत है, तो असाइनमेंट द्वारा ट्रेडमार्क के स्वामित्व के प्रमाण में किसी भी अदालत द्वारा साक्षय में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जब तक कि अदालत स्वयं अन्यथा निर्देश नहीं देती है-इस प्रकार, पहले के निर्णय द्वारा असाइनमेंट विलेख पर कोई निर्भरता पवित्र नहीं की जा सकती है।

न्यायपालिका की याचिका द्वारा, जब कार्य विलेख पर निर्भरता कानून द्वारा निषिद्ध है-इसके अलावा, ट्रेडमार्क को ऐसी संपत्ति नहीं कहा जा सकता है जो बैंक के कब्जे में आई हो।

बैंक के किसी भी दावे की संतुष्टि या आंशिक संतुष्टि

ट्रेडमार्क उन ऋणों या अग्रिमों के लिए किसी भी प्रतिभूति का हिस्सा नहीं हैं जो पहले प्रतिवादी को दिए गए हैं, या उसी के साथ जुड़े हुए हैं। 6 (2) और 8 एस के साथ पढ़ें। 46 (4) – निचली अदालत और पहली अपीलीय अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया गया-व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 - धारा 45 (2)-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 एस. एस. 6 (2) , 8 और 46 (4)।

884 केनरा बैंक बनाम एन. जी. सुब्बाराया शेट्टी

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 रेस जुडिकाटा हमारी कानूनी प्रणाली में मौलिक महत्व का एक सिद्धांत है, हालांकि इसे प्रक्रियात्मक कानून के क्षेत्र से संबंधित कहा जाता है, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 में वैधानिक रूप से सन्निहित किया गया है। हालाँकि, यह केवल एक तकनीकी सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमारी कानूनी प्रणाली में मौलिक है कि सभी मुकदमों का अंत हो, यह सार्वजनिक नीति है।

भारतीय कानून। इस सिद्धांत का उल्टा पक्ष यह है कि, जब लागू होता है, यदि इसे पूरा प्रभाव नहीं दिया जाता है, तो न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है। हालांकि, कुछ उल्लेखनीय हैं सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए अपवाद। एक प्रसिद्ध व्यक्ति

अपवाद यह है कि सिद्धांत एक को अंतिम रूप नहीं दे सकता है न्यायालय की अधिकारिता पर गलत निर्णय। इसी तरह, कानून के सवाल पर एक गलत निर्णय, जो प्रतिबंध लगाता है

कुछ ऐसा जो अवैध है, उसे भी न्यायपालिका के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह मामला रेज़ जुडिकाटा के नियम के अंतिम उल्लिखित अपवाद के अनुप्रयोग से संबंधित है। [पैरा 5] [894-एच; 895-ए-बी]

1.2 जब तक अपील दायर करने की सीमा अवधि समाप्त नहीं हो जाती,

रेस अदालत के अधीन रहता है। सीमा अवधि समाप्त होने के बाद, पहले न्यायालय द्वारा तय किया गया निर्णय न्यायपालिका बन जाएगा। हालांकि, सवाल उठते हैं कि उन मामलों में क्या किया जाना चाहिए जहां दूसरे मामले में सुनवाई पहले मामले में अपील दायर करने की सीमा अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद होती है। प्रिवी काउंसिल और उच्च न्यायालय के कम से कम दो निर्णयों में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि, उपयुक्त मामलों में, दूसरे मामले में सुनवाई को स्थगित किया जा सकता है या पहले मामले में अपील के परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए रोक लगाई जा सकती है। [पैरा 22] [906-जी-एच; 907 ए]

1.3 यदि अपील दायर करने के लिए सीमा की अवधि अभी तक नहीं है

अवधि समाप्त हो गई है या अभी समाप्त हो गई है, दूसरी कार्यवाही की सुनवाई करने वाला न्यायालय उस पक्ष से बहुत अच्छी तरह से पूछ सकता है जो पहले दौर में हार गया है कि क्या वह उपरोक्त फैसले के खिलाफ अपील करने का इरादा रखता है। अगर उत्तर हाँ है, तो यह विवेकपूर्ण होगा कि पहले दूसरी कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए और फिर अपील दायर होने के बाद, पहली कार्यवाही में अपील के परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए उपरोक्त कार्यवाही पर रोक लगा दी जाए। हालाँकि, यदि सीमा समाप्त होने के बाद पर्याप्त लंबी अवधि बीत गई है, और अभी तक [2018] 3 एस. सी. आर. में कोई अपील दायर नहीं की गई है।

पहली कार्यवाही, दूसरी कार्यवाही की सुनवाई करने वाला न्यायालय पहली कार्यवाही को न्यायिक प्रक्रिया के रूप में मानने में उचित होगा। कोई कठोर और तेज़ नियम लागू नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक मामले में पूरी तथ्य परिस्थिति को यह तय करने से पहले देखा जाना चाहिए कि क्या

दूसरी कार्यवाही के आधार पर या पहली कार्यवाही में परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए दूसरी कार्यवाही को स्थगित करने और/या रोक लगाने के लिए आगे बढ़ें। इस विवेक का प्रयोग करने से पहले कई कारकों पर विचार करना होगा। ठहराव के हथियार का विवेकपूर्ण उपयोग, कई मामलों में, दूसरी कार्यवाही में पहली बार के न्यायालय को यह पता लगाने के लिए खारिज कर देता है कि जब तक अपील दूसरी कार्यवाही में उक्त निर्णय के खिलाफ सुनवाई के चरण में पहुंच जाती है, तब तक देरी की माफी और पहली कार्यवाही में अपील की परिणामी सुनवाई के कारण फिर से अदालत के अधीन हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप दूसरी कार्यवाही में निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया जाएगा, और रिमांड पर शुरू होने वाली दूसरी कार्यवाही में गुण-दोष पर नए सिरे से सुनवाई होगी, जिससे अदालत का समय बर्बाद होगा और पक्षकारों को मामले के गुण-दोष पर मुकदमे के दूसरे दौर में घसीटा जाएगा। [पैरा 23] [907-बी-जी]

1.4 तत्काल मामले में, दलीलें सुनने और निर्णय सुरक्षित रखने के बाद एक विलंबित समीक्षा याचिका दायर की गई थी

अपीलीय न्यायालय। इस न्यायालय को यह तय करने से पहले उक्त समीक्षा याचिका के परिणाम का इंतजार नहीं करना होगा कि क्या 27.4.2013 का निर्णय न्यायिक है। यह स्पष्ट है कि चार साल से अधिक की देरी के लिए क्षमा आवेदन के साथ दिनांक 1 के फैसले के लंबे समय बाद दायर एक समीक्षा याचिका को संभवतः अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा कुछ भी नहीं माना जा सकता है। ऐसा होने के कारण, यह जांच की जाती है कि क्या इस मामले में दूसरी कार्यवाही, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर 2008 के मुकदमे में दिनांकित 27.4.2013 के निर्णय को न्यायिक आधार माना जा सकता है। [पैरा 24] [907-एच; 908-ए-बी] 1.5 सामान्य नियम यह है कि एक ही पक्षकारों के बीच पूर्व वाद या कार्यवाही में प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दे बाद के वाद या कार्यवाही में न्यायिक हैं।

एक ही पक्ष के बीच। इनमें तथ्य के मुद्दे, तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न और कानून के मुद्दे शामिल होंगे। इसके लिए कुछ अपवाद हैं जब कानून के मुद्दों की बात आती है:

(i) जहां किसी पूर्व वाद या कार्यवाही में समान पक्षों के बीच निर्णय लिया गया कानून का कोई मुद्दा केनरा बैंक v के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।

एन. जी. सुब्बाराया शेट्टी

न्यायालय, पूर्व वाद या कार्यवाही में एक त्रुटिपूर्ण निर्णय बाद के वाद में न्यायिक नहीं है या

समान पक्षों के बीच कार्यवाही, यहां तक कि जहां दूसरे मुकदमे या कार्यवाही में उठाया गया मुद्दा सीधे और काफी हद तक वही जो पूर्व वाद में उठाया गया था या

आगे बढ़ रहे हैं। यह सी. पी. सी. की धारा 11 को पढ़ने के बाद आता है, क्योंकि न्यायालय यह निर्णय लेता है कि वाद को इस तरह के मुकदमे का परीक्षण करने के लिए सक्षम न्यायालय होना चाहिए। जब धारा 11 के स्पष्टीकरण (I) के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि पहले वाले और बाद वाले दोनों वादों का निर्णय ऐसे वादों का परीक्षण करने के लिए सक्षम न्यायालयों में किया जाना चाहिए, क्योंकि "पूर्व वाला वाद" पहले वाले वाद के बाद स्थापित किया जा सकता है, लेकिन जिसका निर्णय पहले किए गए वाद से पहले किया गया है। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में एक गलत निर्णय उस न्यायालय को अधिकार क्षेत्र के साथ नहीं पहन सकता है जहां उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। जाहिर है, एक दीवानी अदालत किसी व्यक्ति को दंड संहिता के तहत किए गए अपराध के लिए जेल नहीं भेज सकती है। यदि वह ऐसा करता है, तो ऐसा निर्णय मजिस्ट्रेट और/या सत्र न्यायालय को उन्हीं पक्षों के बीच बाद की कार्यवाही में बाध्य नहीं करेगा, जहां -

मजिस्ट्रेट एक ही व्यक्ति को दंड संहिता के तहत एक ही अपराध के लिए सजा देता है। समान रूप से, एक दीवानी न्यायालय एक मकान मालिक और एक किरायेदार के बीच एक किराए के अधिनियम के तहत दावा किए गए अधिकारों से उत्पन्न होने वाले मुकदमे का फैसला नहीं कर सकता है, जहां किराए का अधिनियम ऐसे मुकदमों का फैसला करने के लिए अधिकार क्षेत्र के साथ एक विशेष अदालत को तैयार करता है। ((ii) एक ही पक्ष के बीच उत्पन्न होने वाला कानून का मुद्दा।

बाद के वाद या कार्यवाही में, यदि पूर्व के वाद या कार्यवाही में किसी वैधानिक निषेध पर दिए गए गलत निर्णय से, वैधानिक निषेध को प्रभावी नहीं किया जाता है, तो यह न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि पक्षों के बीच मुद्दा वही हो सकता है जो पिछले मुकदमे या कार्यवाही में प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक जारी किया गया था। यही कारण है कि ऐसे मामलों में केवल पक्षों के अधिकार ही विचार का विषय नहीं हैं

(जैसा कि एक क़ानून की अंतर-पक्षीय गलत व्याख्या का मामला है), क्योंकि वैधानिक निषेध में निहित सार्वजनिक नीति को शून्य पर सेट नहीं किया जा सकता है। यह उसी कारण से है जो उन मामलों में निहित है जो कानून के मुद्दों से संबंधित हैं जो अधिकार क्षेत्र के सवाल उठाते हैं। सार्वजनिक नीति अन्य वैधानिक निषेधों में निहित, जिन्हें [2018] 3 एस. सी. आर. की आवश्यकता नहीं है।

अनिवार्य रूप से किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जाना चाहिए, इसे समान रूप से प्रभावी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अन्यथा कानून के विशेष सिद्धांत पक्षों पर तब लगाए जाते हैं जब सार्वजनिक नीति से संबंधित विशेष विचार यह आदेश देते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता है;

((ग) इस सामान्य नियम का एक अन्य अपवाद इस बात से है कि मुद्दा पिछले वाद या कार्यवाही से अलग कानून का मुद्दा है। यह तब हो सकता है जब दूसरे वाद या कार्यवाही में कानून का मुद्दा पहले वाद या कार्यवाही में सीधे और काफी हद तक मामले के अलग-अलग तथ्यों पर आधारित हो। समान रूप से, जहां पहले से ही एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून में परिवर्तन किया जाता है

निर्णय, बाद के वाद या कार्यवाही में जारी मामला पिछले वाद या कार्यवाही के समान नहीं है कार्यवाही, क्योंकि जिस कानून की व्याख्या की जानी है वह अलग है। [पैरा 33] [917-बी, सी-एफ; 918-सी-ई, एफ-जी]

1.6 जहाँ तक व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 45 का संबंध है, यह स्पष्ट है कि यह याचिका दोनों कार्यवाहियों के दौरान उठाई गई थी। जहाँ तक 2004 के मुकदमों का संबंध है, दिनांक 1 के फैसले में बैंक की ओर से ली गई उक्त याचिका को स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। समान रूप से, जहां तक 2008 के दूसरे मुकदमे में निचली अदालत के फैसले का संबंध है, उक्त याचिका को स्पष्ट रूप से उठाया गया और खारिज कर दिया गया। दिनांकित 31.7.2017 का विवादित निर्णय भी प्रस्तुतिकरण को दर्ज करता है और इसे अस्वीकार कर देता है। निचली अदालत और पहली अपीलीय अदालत दोनों में निहित वैधानिक निषेध को मानने में पूरी तरह से गलत थे।

2004. इसके अलावा, दिनांकित 27.4.2013 के फैसले में पहले के निर्णय ने एक लेनदेन को वैध घोषित किया है जो कानून द्वारा निषिद्ध है। ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 45 (2) का सरसरी अध्ययन करता है यह स्पष्ट करता है कि असाइनमेंट विलेख, यदि अपंजीकृत है, तो असाइनमेंट द्वारा ट्रेडमार्क के स्वामित्व के प्रमाण में किसी भी अदालत द्वारा साक्षय में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जब तक कि अदालत स्वयं अन्यथा निर्देश न दे।

यह केनरा बैंक बनाम है। एन. जी. सुब्बाराया शेट्टी

इसलिए, स्पष्ट करें कि पूर्व निर्णय द्वारा दिनांकित समनुदेशन विलेख पर किसी भी निर्भरता को

जब कार्य विलेख पर निर्भरता कानून द्वारा निषिद्ध है, तो न्यायपालिका का अनुरोध। [पैरा 35-39] [922-जी; 923-एफ; 924-सी, जी; 925-बी सी]

1.7 समान रूप से, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 6,8 और 46 (4) के संदर्भ से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि एक बैंक

अगरबत्ती बेचने के लिए ट्रेडमार्क "ईनाडु" का उपयोग नहीं कर सकते। इसे धारा 8 द्वारा सीधे तौर पर बाधित किया जाएगा, जो स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि धारा 6 या किसी अनुबंध में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बैंकिंग कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माल की बिक्री में सौदा नहीं करेगी, सिवाय इसके कि उसे दी गई या उसके द्वारा रखी गई प्रतिभूति की प्राप्ति के संबंध में। इसके अलावा, तीसरे पक्ष को ट्रेडमार्क "ईनाडु" का उपयोग करने और उस पर रॉयल्टी अर्जित करने की अनुमति देना स्पष्ट रूप से धारा 6 (1) के बाहर होगा और धारा 6 (2) द्वारा बाधित किया जाएगा जिसमें कहा गया है कि कोई भी बैंक उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यवसायों के अलावा किसी भी प्रकार के व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा। ट्रेडमार्क को ऐसी संपत्ति नहीं कहा जा सकता है जो बैंक के किसी भी दावे की संतुष्टि या आंशिक संतुष्टि में बैंक के कब्जे में आई हो। ट्रेडमार्क उन ऋणों या अग्रिमों के लिए किसी भी प्रतिभूति का हिस्सा नहीं हैं जो पहले प्रतिवादी को दिए गए हैं, या उसी के साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि

असाइनमेंट विलेख दिनांकित 8.10.2003 स्पष्ट रूप से धारा द्वारा प्रभावित है

6 (2) और धारा 8 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 46 (4) में निहित दंड प्रावधान के साथ पढ़ा जाता है। निचली अदालत और पहली अपीलीय अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 40-42] [925-D-E, G-H; 926-A]

नटराज स्टूडियो (पी) लिमिटेड बनाम नवरंग स्टूडियो और अन्र। (1981)

2 एस. सी. आर. 466-निर्भर।

श्योपरसन सिंह बनाम। रामनंदन सिंह ए. आई. आर. 1916

पी. सी. 78; दरियाव और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य,

[1962] 1 एस. सी. आर. 574; मथुरा प्रसाद बाजु जैसवाल और

[1970] 3 एस. सी. आर. 830; वी. राजेश्वरी बनाम टी. सी. सरवनबावा (2004) 1 एस. सी. सी. 551: [2003] 6 पूरक। एस. सी. आर. 927; शिवदान सिंह बनाम। दरियाव कुंवर (1966) 3 एस. सी. आर. 300; बालकिशन वी. किशन लाल (1888) आई. एल. आर. 11 सभी 148; एस. पी. ए. अन्नामले

चेट्टी वी. बी. ए. थॉर्नहिल एयर 1931 पी. सी. 263; परशोतम [2018] 3 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परभूदास बनाम। बाई मोती एयर 1963 गुजरात 30; भवानी अम्मा बनाम। नारायण आचार्य ए. आई. आर. 1963 मैसूर 120; सत्यनारायण प्रसाद गुप्तु बनाम। डायना इंजीनियरिंग कंपनी ए. आई. आर. 1952 कलकत्ता 124; वेंकटेश्वरलू बनाम। वेंकट नरसिम्हम ए. आई. आर. 1957 आंध्र प्रदेश 557; चेंगलवाला गुरराजू बनाम। मादापति वेंकटेश्वर रो पंतुलु गारू एयर 1917 मद्रास 597; बैजनाथ

कर्णानी बनाम। वल्लभदास दमानी ए. आई. आर. 1933 मद्रास 511; चंद्र सिंह दुधोरिया बनाम। मिदनापुर जेमिन्डरी कं।

लिमिटेड (1941) 69 आई. ए. 51 (पी. सी.); इंद्र सिंह एंड संस लिमिटेड बनाम। शियावैक्स। सी. कंबाटा आईएलआर 1948 बम 346; सुशील कुमार मेहता बनाम। गोविंद राम बोहरा (1990) 1 एस. सी. सी. 193: [1989] 2 पूरक। एससीआर 149; इसाबेला जॉनसन (श्रीमती) बनाम। एम. ए. सुसाई (1991) 1 एस. सी. सी. 494: [1990] 2 पूरक। एस. सी. आर. 212; पंजाब राज्य बनाम। नंद किशोर AIR 1974 पंजाब और हरियाणा 303; मोहनलाल गोयनका बनाम। बिनॉय कृष्ण मुखर्जी [1953] एस. सी. आर. 377; नंद किशोर बनाम। की स्थिति पंजाब (1995) 6 एससीसी 614: [1995] 4 पूरक। एससीआर 16; मोती राम डेका बनाम। महाप्रबंधक, एन. ई. फ्रंटियर

रेलवे [1964] 5 एस. सी. आर. 683; गुरदेव सिंह सिद्धू बनाम। पंजाब राज्य [1964] 7 एससीआर 587; इलाहाबाद

विकास प्राधिकरण बनाम। नसीरुज्जमान (1996) 6 एस. सी. सी. 424 [1996] 5 पूरक। एससीआर 435; शकुंतला देवी बनाम। कमला (2005) 5 एस. सी. सी. 390; वी. तुलासम्मा बनाम। V.Sesha रेड्डी (1977) 3 SCC 99: [1977] 3 एससीआर 261; तारिणी चरण भट्टाचार्जी और अन्य बनाम। केदार नाथ हलदर

ए. आई. आर. 1928 कलकत्ता 777-संदर्भित।

वर्जिन अटलांटिक एयरवेज लिमिटेड बनाम राशि चक्र सीटें यूके लिमिटेड

[2013] 4 सभी ईआर 715 का उल्लेख किया गया है।

मामला कानून संदर्भ

ए. आई. आर 1916 पी. सी. 78

संदर्भित किया गया है

पै

रा 2

[1962] 1 एससीआर 574

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[1970] 3 एससीआर 830

पै

रा 11

संदर्भित किया गया है

[2003] 6 पूरक। एससीआर 927

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[1966] 3 एससीआर 300

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

(1888) आई. एल. आर. 11 सभी 148

संदर्भित किया गया है

पैरा 17 केनरा बैंक बनाम एन. जी. सुब्बाराय शेट्टी

पै

रा 1

आकाशवाणी 1931 पी. सी. 263

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर 1963 गुजरात 30

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

ए. आई. आर 1963 मैसूर 120

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

आकाशवाणी 1952 कलकत्ता 124

पै

रा 19

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. 1957 आंध्र प्रदेश 557

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर 1917 मद्रास 597

पै

रा 20

पैरा 21

ए. आई. आर. 1933 मद्रास 511

संदर्भित किया गया है

(1941) 69 आई ए 51 (पी सी)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

आई. एल. आर. 1948 बम 346

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[1989] 2 पूरक। एससीआर 149

संदर्भित किया गया है

पै

रा 27

[1990] 2 पूरक। एस. सी. आर. 212

पै

रा 27

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

ए. आई. आर. 1974 पंजाब और हरियाणा 303

[1953] एससीआर 377

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[1995] 4 पूरक। एससीआर 16

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

[1964] 5 एससीआर 683

पै

रा 29

संदर्भित किया गया है

[1964] 7 एससीआर 587

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

[1996] 5 पूरक। एससीआर 435

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

(2005) 5 एस. सी. सी 390

संदर्भित किया गया है

पै

रा 31

[1977] 3 एससीआर 261

संदर्भित किया गया है

पै

रा 31

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

ए. आई. आर 1928 कलकत्ता 777

[1981] 2 एससीआर 466

उस पर भरोसा करें

पै

रा 33

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4

2018 से।

उच्च न्यायालय के 31.07.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 की प्रथम अपील (आर. एफ. ए.) संख्या 818 में बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार

के. वी. विश्वनाथन (एसी), ध्रुव मेहता, Sr.Advs।, अभिस

कौशिक, श्रीगेश एम. के., रवि रघुनाथ, धनंजय बी. रे, सिद्ध व्यस्त, सुश्री वृंदा भंडारी, मुकुंद राव, जयश्री विश्वनाथ राजेश कुमार-I, गौरव सिंह, अनंत गौतम, आकाश सेहरत [2018] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वी. गोविंदा रामानन, सौमु पालित, शांतकुमार वी. महाले, आर. पी. कुलकर्णी, राजेश महाले, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आर. एफ. नरीमन, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. रोम का स्थान समाप्त हो गया है। रोम बोल चुका है, कारण समाप्त हो गया है। रोम ने अपने कानूनों के माध्यम से बात की। रोमन के स्तंभों में से एक

कानून मैक्सिम रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटे एसिपिटुर (ए) में निहित है। निर्णय की गई चीज़ को सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है)। रोमन कानून का यह सिद्धांत है

रोमन कानून के दो अन्य मौलिक सिद्धांतों पर आधारित, अर्थात् ब्याज पुनर्भुक्ति उत सित फ़िनिस लिटियम (यह राज्य से संबंधित है कि कानूनी मुकदमों का अंत हो) और नेमो डेबेट बिस वेक्सारी प्रो उना एट एडेम कौसा (किसी भी व्यक्ति को एक ही कारण के लिए दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए)। वास्तव में, यह कहावत प्राचीन हिंदू ग्रंथों सहित सभी प्राचीन कानूनों में लगभग सार्वभौमिक है, जिसकी चर्चा सर लॉरेंस जेनकिंस ने की थी।

श्योपरसन सिंह बनाम। रामनंदन सिंह, ए. आई. आर. 1916 पी. सी. 78 पर 80-81

इस प्रकार है:

" आवेदन को लेकर बार में काफी चर्चा हुई है।

इस वाद के लिए एक बार के रूप में रेस जुडिकाटा की याचिका। उनके नेतृत्व को देखते हुए, मामला उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जिस पर इस याचिका और इस चर्चा की जांच प्रासंगिक होगी। लेकिन उन्हें संबोधित तर्कों को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रभु इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि रेस जुडिकाटा का शासन, जबकि प्राचीन मिसाल पर आधारित है, एक ज्ञान द्वारा निर्धारित किया जाता है जो हमेशा के लिए है। यह अच्छी तरह से कहा गया है, "लॉर्ड कोक घोषित किया गया है", ब्याज का प्रचार खत्म हो सकता है, अन्यथा बड़ा उत्पीड़न हो सकता है। रंग और कानून के ढोंग के तहत किया जाए ": (6 कोक, 9 ए)। हालाँकि, संहिता के नियम का पता एक अंग्रेजी स्रोत से लगाया जा सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से कानून की भावना के विपरीत सिद्धांत का प्रतीक नहीं है जैसा कि हिंदू टिप्पणीकारों द्वारा व्याख्या की गई है। विज्ञानेश्वर और नीलकंठ में कानून द्वारा अनुमत पूर्व निर्णय की याचिका शामिल है, जिनमें से प्रत्येक ने इस उद्देश्य के लिए कात्यायन के पाठ का हवाला दिया है, जो याचिका का वर्णन इस प्रकार करता है: यदि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से पराजित होने के बावजूद फिर से मुकदमा करता है तो उसे जवाब दिया जाना चाहिए, 'आप पहले हार गए थे'। इसे पूर्व निर्णय की याचिका कहा जाता है। ("मिताक्षर (व्यवहार)" बी. के. देखें। II, च। आई, जे.

आर. घरपुरे द्वारा संपादित, पी। 14 , और "द मायुका, च। आई., सेक. 1 , पी। 11 मंडलिक के संस्करण से।)

केनरा बैंक बनाम एन. जी. सुब्बाराया शेट्टी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

और इसलिए भारत में न्यायालयों द्वारा नियम का अनुप्रयोग होना चाहिए

कानून द्वारा अनुमत सीमाओं के भीतर पदार्थ का। 3. दरयाओ और अन्य बनाम में यह न्यायालय। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य,

2) 1 583-584 पर SCR 574, इसे बहुत अच्छी तरह से रखें जब यह कहा गया:

" रेस जुडिकाटा के आवश्यक तत्वों पर विचार करने में एक अनिवार्य रूप से

सर विलियम डी ग्रे (बाद में) के फैसले की ओर इशारा करता है।

लॉर्ड वाल्सिंगम) प्रमुख डचेस ऑफ किंग्स्टन के मामले में [2] स्मिथ लीड करते हैं। कैस। 13 टी एड। पीपी। 644 , 645] . विलियम डी ग्रे ने कहा,

(बाद में लॉर्ड वाल्सिंगम) "विभिन्न प्रकार के मामलों से संबंधित दीवानी मुकदमों में साक्षय के रूप में दिए जाने वाले निर्णयों के लिए, ये दोनों

कटौती आम तौर पर सच प्रतीत होती है: पहला, कि समवर्ती क्षेत्राधिकार के न्यायालय का निर्णय, सीधे इस बिंदु पर, इस प्रकार है

एक याचिका, एक बार, या सबूत के रूप में, एक ही पक्षकारों के बीच निर्णायक, एक ही मामले पर, सीधे दूसरे न्यायालय में विचाराधीन; दूसरा, कि अनन्य अधिकार क्षेत्र के न्यायालय का निर्णय, सीधे

बात, उसी तरह से एक ही मामले पर निर्णायक है, के बीच

वही पक्ष, संयोग से दूसरी अदालत में प्रश्न में आ रहे हैं

एक अलग उद्देश्य के लिए "। जैसा कि हैल्सबरी द्वारा देखा गया है, "रेस जुडिकाटा का सिद्धांत केवल लागू होने वाला तकनीकी सिद्धांत नहीं है।

अभिलेखों के लिए; यह सभी न्यायालयों का एक मौलिक सिद्धांत है कि

मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए [हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानून, तीसरा

एड।, खण्ड. 15 , पैरा। 357 , पी। 185] " . हैल्सबरी यह भी कहते हैं कि सिद्धांत

सभी न्यायालयों में समान रूप से लागू होता है, और यह किस न्यायालय में मायने नहीं रखता है

पूर्व कार्यवाही की गई थी, बशर्ते कि यह एक न्यायालय हो

सक्षम अधिकारिता, या कार्यवाही किस रूप में हुई,

बशर्ते कि यह वास्तव में उसी कारण के लिए था (पी। 187, अनुच्छेद 362) "। रेज़ जुडिकाटा ", यह कॉर्पस ज्यूरिस में देखा गया है", न्यायशास्त्र की हर अच्छी तरह से विनियमित प्रणाली में व्याप्त सार्वभौमिक कानून का एक नियम है, और दो आधारों पर रखा जाता है, जो विभिन्न मैक्सिम में सन्निहित होते हैं

सामान्य कानून; एक, सार्वजनिक नीति और आवश्यकता, जो इसे बनाता है

राज्य के हित में कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए

- ब्याज गणराज्य के अंत तक; दूसरा, कठिनाई।

व्यक्ति पर कि उसे एक ही कारण से दो बार परेशान किया जाना चाहिए

नेमो डेबेट बिस वेक्सारी प्रो एडेम कौसा "[कॉर्पस ज्यूरिस, वॉल्यूम। 34 , पी। 743] . इस अर्थ में रेस के नियम का मान्यता प्राप्त आधार

जुडिकाटा तकनीकी एस्टोपेल से अलग है। " एस्टोपेल

न्यायसंगत सिद्धांतों पर आधारित है और न्यायपालिका अधिकतम पर आधारित है जो [2018] 3 एस. सी. आर.

रोमन कानून से लिए गए हैं "[इबिद पी। 745] . इसलिए, यह तर्क कि न्याय एक तकनीकी नियम है और इस तरह से अप्रासंगिक है

अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं से निपटने में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

4. रेस जुडिकाटा के सिद्धांत और रोकथाम के बीच की कड़ी

वर्जिन अटलांटिक एयरवेज बनाम में प्रक्रिया का उपयोग बहुत सम्मानपूर्वक कहा गया है। राशि चक्र सीटें यूके लिमिटेड [2013] 4 सभी ईआर 715 (730-731 पर) के रूप में

वीएस:

" हेंडरसन बनाम हेंडरसन में सिद्धांत हमेशा रहा है

सोचा गया कि बाद में मुकदमेबाजी के मुद्दों को उठाने की मांग में शामिल प्रक्रिया के दुरुपयोग के खिलाफ निर्देशित किया जा सकता है और

पहले उठाया जाना चाहिए था। कुछ भी विवादित नहीं था

यात तुंग मामले [1975] ए. सी. 581 में किलब्रांडन। बाद के कई निर्णयों में इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन वर्तमान उद्देश्यों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है। उनमें, जॉनसन बनाम गोर-वुड एंड कंपनी [2002] 2 एसी 1, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उनके प्रभाव पर विचार किया। यह अपील इस आधार पर कार्यवाही को समाप्त करने के लिए एक आवेदन से उत्पन्न हुई कि वादी का दावा उसी विषय पर पहले की कार्रवाई में किया जाना चाहिए था जिसे उसके नियंत्रण में एक कंपनी द्वारा लाया गया था।

कॉर्नहिल के लॉर्ड बिंघम ने वर्वाके (पूर्व में मेसिना) में सेंट मेरिलबोन एल. सी. के लॉर्ड हेलशम के पहले के सुझाव को अपनाया।

बनाम स्मिथ [1983] 1 एसी 145,157 कि हेंडरसन बनाम हेंडरसन में सिद्धांत "सार्वजनिक नीति का नियम और रेस जुडिकाटा के कानून का अनुप्रयोग दोनों" था। उन्होंने पी में दोनों के बीच संबंधों के बारे में अपना विचार व्यक्त किया। 31 इस प्रकार है: " हेंडरसन बनाम

हेंडरसन प्रक्रिया का दुरुपयोग, जैसा कि अब समझा जाता है, हालांकि

कार्रवाई के कारण से अलग और अलग रोक और रोक जारी करना, उनके साथ बहुत कुछ समान है। अंतर्निहित सार्वजनिक हित एक ही है: कि मुकदमेबाजी में अंतिमता होनी चाहिए और किसी पक्ष को एक ही मामले में दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस जनहित को मुकदमेबाजी के संचालन में दक्षता और अर्थव्यवस्था पर वर्तमान जोर से मजबूत किया जाता है। दलों और समग्र रूप से जनता "।

5. रेस जुडिकाटा, इस प्रकार, गैल प्रणाली में मौलिक महत्व का एक सिद्धांत है, हालांकि इसे प्रक्रियात्मक क्षेत्र से संबंधित कहा जाता है।

सिविल संहिता की धारा 11 में वैधानिक रूप से सन्निहित होना

डचूरे, 1908। हालाँकि, यह केवल एक तकनीकी सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह कैनरा बैंक बनाम है।

एन. जी. सुब्बाराया शेट्टी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

हमारी कानूनी प्रणाली में यह मौलिक है कि सभी मुकदमों का अंत हो, यह भारतीय कानून की सार्वजनिक नीति है। इस सिद्धांत का उल्टा पक्ष है -

कि, जब लागू हो, यदि इसे पूर्ण प्रभाव नहीं दिया जाता है, तो न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है। हालाँकि, इस सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए कुछ उल्लेखनीय अपवाद हैं। एक सर्वविदित अपवाद यह है कि यह सिद्धांत किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में गलत निर्णय को अंतिम रूप नहीं दे सकता है। इसी तरह, कानून के प्रश्न पर एक गलत निर्णय, जो कुछ अवैध है, को भी न्यायिक प्रक्रिया के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह मामला रेज़ जुडिकाटा के नियम के अंतिम उल्लिखित अपवाद के अनुप्रयोग से संबंधित है। रेस जुडिकाटा के सिद्धांत के लिए उक्त अपवाद की प्रयोज्यता की सराहना करने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 ने 2001 में किसी समय याचिकाकर्ता बैंक से ऋण सुविधा का लाभ उठाया। प्रत्यर्थी संख्या 2, उसका बेटा, उक्त सुविधा के पुनर्भुगतान के लिए एक गारंटर के रूप में खड़ा था। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने <ID2,49,970.22 की राशि के पुनर्भुगतान में चूक की, इसलिए याचिकाकर्ता बैंक ने प्रतिवादी संख्या के खिलाफ डी. आर. टी. बैंगलोर के समक्ष 2002 का ओ. ए. संख्या 440 दायर किया। 1 और 2. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने बैंक के बकाया को चुकाने के लिए, कुछ नियमों और शर्तों पर अगरबत्ती (अगरबत्ती) के संबंध में ट्रेडमार्क "EENADU" के असाइनमेंट के लिए मुख्य प्रबंधक, बसवनगुडी शाखा, बैंगलोर के साथ दिनांक 8.10.2003 के एक असाइनमेंट डीड पर हस्ताक्षर किए। उपरोक्त कार्य के खंड 1 से 7 नीचे दिए गए हैं:

" ई. एन. ए. डी. यू. के गवाहों का अनुसरण:
1. अभिदाता एतद्द्वारा अभिदाता को इस समझौते की तारीख से दस साल की अवधि यानी 1.10.03 से 30.9.13 के लिए अगरबत्ती (अगरबत्ती) के संबंध में उपरोक्त व्यापार चिह्न "ईनाडु" का विशेष उपयोग और सभी लाभ प्रदान करता है।

2. अभिदाता रुपये की राशि का भुगतान करेगा। 76, 000.00 (केवल छत्तर हजार रुपये) प्रति माह की अवधि के लिए देय

पहले छह सालः अर्थात् 1.10.03 से 30.9.09 तकः

((i) रु। 40, 000.00 हर महीने समनुदेशक की ऋण राशि में जमा किया जाएगा और (ii) Rs.36,000.00 (केवल छत्तीस हजार रुपये) की शेष राशि का भुगतान समनुदेशक को किया जाएगा/जिसे पहले छह वर्षों की समाप्ति तक उसके द्वारा निकालने की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1.10.03

3. अभिनिर्देशक इस अवधि के लिए देय प्रति माह Rs.83,600.00 (केवल अस्सी तीन हजार छह सौ रुपये) की राशि का भुगतान करेगा।

अगले चार वर्षों के लिए अर्थात 1.10.09 से 30.9.13 तक।

((i) रु। 40,000 हर महीने समनुदेशक के ऋण खाते में जमा किया जाएगा और (ii) Rs.43,600.00 (केवल तैंतीस हजार छह सौ रुपये) की शेष राशि का भुगतान समनुदेशक को किया जाएगा/अगले चार वर्षों की समाप्ति तक उसके द्वारा निकालने की अनुमति दी जाएगी।

अर्थात् 1.10.09 से 30.9.13 तक।

4. उपरोक्त भुगतान अभिदाता द्वारा उपरोक्त अवधि के लिए लगातार और निर्बाध रूप से बिना शर्त किया जाएगा। दस साल।

5. अभिनिर्देशक को अपने दम पर ट्रेडमार्क "ईनाडु" का उपयोग करने का अधिकार होगा और वह तीसरे को अनुमति देने का भी हकदार होगा।

ट्रेडमार्क की अच्छी गुणवत्ता और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सहमत होने वाले उक्त पक्षों के अधीन, उसी का उपयोग करने के लिए पक्ष/पक्ष

" ईनाडु "कार्य की वैधता की अवधि के दौरान (उपरोक्त)

दस साल कहा जाता है अर्थात 1.10.03 से 30.9.13)।

6. असाइनमेंट की वैधता की अवधि के दौरान असाइनमेंट प्राप्तकर्ता अनुमत उपयोगकर्ताओं से "रॉयल्टी" एकत्र करने का हकदार होगा (

ऊपर दस साल कहा गया है)।

7. इस विलेख के तहत दिए गए समनुदेशन की अवधि इस समझौते की तारीख से दस साल की अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी यानी 30.9.13 पर और समझौता कायम रहेगा। इसके संबंध में किसी भी सूचना के बिना समाप्त कर दिया गया और समनुदेशक "ईनाडू" के व्यापार चिह्न के संबंध में तीसरे पक्ष को समनुदेशक द्वारा दिए गए लाइसेंस, अनुमति आदि भी समाप्त कर दिए जाएंगे।

इस तरह की सूचना के बिना एक साथ समाप्त हो जाता है।

6. 27.1.2004 दिनांकित एक पत्र द्वारा, मुख्य प्रबंधक ने एन. डी. एन. नं. 1 को लिखा जिसमें कहा गया है:

" हमें हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि बैंकिंग कंपनी के विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार, बैंक

" पेटेंट अधिकार धारक "। इसलिए, कृपया ध्यान दें कि हम ईनाडू के पेटेंट अधिकार को रखने में रुचि नहीं रखते हैं और इस पत्र के माध्यम से, हम इसे रद्द कर रहे हैं।

उपरोक्त असाइनमेंट डीड दिनांकित 8-10-2003 "। केनरा बैंक बनाम

एन. जी. सुब्बाराया शेट्टी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

8. इस बीच, बैंक की ओर से असाइनमेंट डीड पर हस्ताक्षर करने वाले मुख्य प्रबंधक एन. वी. नारायण राव को उनके खिलाफ आई. डी. 1 पर की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के अनुसार सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। 9. वनरोपण के रूप में दो मुकदमों को समेकित किया गया और एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया गया। दोनों मुकदमों में मुद्दों को अलग-अलग तैयार किया गया था और यह पाया गया कि असाइनमेंट विलेख धोखाधड़ी, गलत निरूपण या अनुचित प्रभाव से दूषित नहीं था। नतीजतन, बैंक को उपरोक्त असाइनमेंट डीड को रद्द करने या रद्द करने का कोई अधिकार नहीं था। रुपये. 2,16,000/- के लिए धन डिक्री के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के दावे को खारिज कर दिया गया था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि डी. आर. टी. की कार्यवाही लंबित होने के बावजूद दीवानी न्यायालय के पास मुकदमों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था। बैंक का मुकदमा खारिज हो गया। दोनों मुकदमों में पारित अंतिम आदेश इस प्रकार हैः

" ओ. एस. 2832/2004 को इसके द्वारा आंशिक रूप से घोषित किया जाता है, जिसमें प्रथम प्रतिवादी/बैंक के खिलाफ वादी के पक्ष में राहत दी जाती है, यह घोषणा करते हुए कि असाइनमेंट समझौते का एकतरफा रद्द होना दिनांकित है।

8.10.2003 प्रथम प्रतिवादी बैंक द्वारा पत्र सं। एल. पी. डी./एस. एस. आई./27.1.2004 दिनांकित, अवैध और अस्थिर है।

ओ. एस. 7018/2004 को एतद्द्वारा खारिज कर दिया जाता है, जिससे वादी/बैंक की यह घोषणा करने की प्रार्थना की जाती है कि बैंक और प्रथम प्रतिवादी के बीच दिनांकित 8.10.2003 असाइनमेंट समझौता अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के कारण दूषित हो गया है। गलत निरूपण, बैंक पर पहले प्रतिवादी द्वारा अभ्यास किया जाता है

इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। "

10. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 2013 की विविध याचिका No.324 होने के नाते एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसमें [2018] 3 एस. सी. आर. के उपरोक्त फैसले की समीक्षा की मांग की गई।

इस हद तक कि रुपये 2,16,000/- के भुगतान के लिए उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था। 16.3.2015 पर, इस याचिका की अनुमति दी गई थी, और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर 2004 के O. S. No.2832 को भुगतान के लिए अनुरोध सहित बैंक के खिलाफ पूरी तरह से आदेश दिया गया था। उपरोक्त समीक्षा निर्णय दिनांक 16.3.2015 के विरुद्ध,

बैंक द्वारा 175 दिनों की देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन के साथ 4.1.2016 पर एक अपील दायर की गई थी। हमें सूचित किया जाता है कि यह अपील अभी भी लंबित है। इस बीच, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने असाइनमेंट डीड के आधार पर, 2008 का ओ. एस. <आई. डी. 1 होने के नाते, बैंक के खिलाफ रुपये की राशि की वसूली के लिए एक और मुकदमा दायर किया। 17,89,915 / - अवधि 1.4.2004 के लिए ब्याज के साथ

30.4.2007 तक। 30.10.2015 दिनांकित एक निर्णय द्वारा, इस मुकदमे को इस आधार पर तय किया गया था कि 27.4.2013 दिनांकित पूर्व निर्णय, जिसके खिलाफ अपील नहीं की गई थी, पक्षकारों के बीच न्यायिक मामला था। इस फैसले के खिलाफ दायर एक अपील को उसी भाग्य का सामना करना पड़ा, जिसमें दिनांक 31.7.2017 के विवादित फैसले द्वारा, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया

न्यायनिर्णायक स्व-समान आधार पर बैंक द्वारा दायर अपील। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 14.7.2017 पर, अपील की सुनवाई, जो आक्षेपित निर्णय में समाप्त हुई, समाप्त हो गई और निर्णय सुरक्षित रखा गया। इसके बाद ही याचिकाकर्ता बैंक ने पहली बार 26.7.2017 पर 1548 दिनों के विलंब आवेदन की माफी के साथ 27.4.2013 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की। यह समीक्षा याचिका भी लंबित बताई गई है।

11. याचिकाकर्ता बैंक की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता ने तर्क दिया है कि इस संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था

2008 के वाद के वाद में उसी के रूप में न्यायिकता का विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया गया था। वास्तव में, दूसरे वाद में अभिवचन के काफी समय बाद 27.4.2013 का निर्णय आया, और वाद में कोई संशोधन नहीं किया गया ताकि न्यायिक याचिका को शामिल किया जा सके। कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, इस याचिका में जाना बिल्कुल भी अस्वीकार्य था। यह भी तर्क दिया गया कि इस धारणा पर कि उक्त याचिका पर विचार किया जा सकता है, राहत के लिए दो वैधानिक प्रतिबंध थे, अर्थात्, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 45 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 6 और 8। पहले वैधानिक बार ने यह स्पष्ट किया कि जब तक असाइनमेंट डीड पंजीकृत नहीं किया जाता है, तब तक इसे किसी भी अदालत द्वारा साक्षय के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 6 और 8 ने बैंक को बैंकिंग व्यवसाय के अलावा कोई भी व्यवसाय करने से रोक दिया और कहा कि, इसलिए, वह असाइनमेंट विलेख

जो बैंक को वस्तुओं में व्यापार करने और ट्रेडमार्क के असाइनमेंट से रॉयल्टी अर्जित करने में सक्षम बनाता है, वन-आधारित प्रावधानों द्वारा प्रभावित होगा।

एन. जी. सुब्बाराया शेट्टी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

और, इसलिए, कानून में शून्य होगा। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने दृढ़ता से भरोसा किया

मथुरा प्रसाद बाजु जयस्वाल और अन्य बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर। दोसीबाई एन. बी. जीजीभॉय, (1970) 1 एस. सी. सी. 613, और कई अन्य निर्णय जो उपरोक्त निर्णय द्वारा निर्धारित कानून का पालन करते हैं। उनके अनुसार, इसलिए, ये दो वैधानिक निषेध कानून के शुद्ध प्रश्न हैं, जो उन तथ्यों से असंबंधित हैं जो एक अधिकार को जन्म देते हैं, दोनों पक्षों के बीच न्याय नहीं हो सकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, दोनों बिंदुओं को निचली अदालतों के समक्ष उठाया गया था और कोई सफलता नहीं मिली थी। वास्तव में, असाइनमेंट विलेख को रद्द करने वाले 27.1.2004 दिनांकित पत्र से ही पता चलता है कि असाइनमेंट विलेख की याचिका बैंकिंग विनियमन अधिनियम के विपरीत होने के कारण ही उपरोक्त विलेख को रद्द करने का कारण था। उन्होंने इस तथ्य का भी उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया कि उक्त विलेख पर हस्ताक्षर करने के लिए जिम्मेदार बैंक प्रबंधक को 26.5.2005 दिनांकित आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। श्री मेहता ने बैंगलोर में सत्र न्यायालय द्वारा दिनांकित एक निर्णय पर भी दृढ़ता से भरोसा किया, जिसके द्वारा मुख्य प्रबंधक ए. शेषगिरी राव, जिन्हें सी. बी. आई. द्वारा दायर एक विशेष आपराधिक मामले में आरोपी संख्या 1 बनाया गया था और प्रतिवादी संख्या। 1 और 2, जिन्हें आरोपी बनाया गया था। 2 और 3, प्रत्येक को विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा क्रमशः 6 महीने, तीन साल और दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिन्हें दोषी ठहराया गया था

12. श्री शांताकुमार महाले, प्रतिवादी संख्या की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता। 1 और 2, दूसरी ओर, नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों का बचाव किया। विद्वान वकील के अनुसार, मुख्य प्रबंधक को बर्खास्त किए जाने के लंबे समय बाद और प्रतिवादी संख्या 1 को दोषी ठहराते हुए सत्र न्यायाधीश के फैसले के बाद 27.4.2013 का निर्णय दिया गया था। 1 और 2. इस फैसले में विशेष रूप से कहा गया था कि कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी, कि बैंक ने स्वयं इस कार्य की मांग की थी। उत्तरदाता सं। 1 और 2, और यह कि चूंकि कोई गलत निरूपण, अनुचित प्रभाव आदि नहीं था, इसलिए समनुदेशन विलेख कानूनी रूप से वैध था, उक्त विलेख का रद्द होना अवैध था। यह निर्णय पक्षों के बीच अंतिम है और इसे कभी भी चुनौती नहीं दी गई है, सिवाय एक समीक्षा के जो अपील में दोनों पक्षों को सुनने के बाद देर से दायर की गई थी। उक्त समीक्षा याचिका, जो स्पष्ट रूप से भारी देरी के साथ प्रक्रिया का दुरुपयोग है, [2018] 3 एस. सी. आर. हो सकती है।

संभवतः निचली अदालतों के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए निचली अदालतों को न्यायिक प्रक्रिया में नहीं लाया जा सकता है। विद्वान वकील के अनुसार, न तो ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 45 और न ही बैंकिंग विनियमन की धारा 6 और 8

अधिनियम केवल एक स्पष्ट व्याख्या करने में सक्षम है ताकि, उनके आवेदन पर, असाइनमेंट डीड कानून में अवैध हो जाए।

13. हमने इस मामले में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए वरिष्ठ वकील श्री के. वी. विश्वनाथन को न्यायमित्र नियुक्त किया था। उन्होंने बड़ी संख्या में निर्णयों का उल्लेख किया है और इस न्यायालय को अमूल्य सहायता प्रदान की है ताकि हम इस मामले में एक उचित और न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुँच सकें। उन्होंने तर्क दिया है कि दिनांकित 27.4.2013 के फैसले के खिलाफ देर से दायर की गई समीक्षा याचिका, सफलता की कोई संभावना नहीं होने के कारण, दिनांकित 27.4.2013 के फैसले के न्यायिक प्रभाव को दूर नहीं करेगी। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, मामला कानून यह स्पष्ट करता है कि यदि कोई अपील सीमा के भीतर दायर की जाती है, तो मामला कभी भी न्यायिक नहीं बन जाता है। वास्तव में, जब तक अपील दायर करने की सीमा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक मामला विचाराधीन रहता है। यह केवल तभी होता है जब सीमा

अवधि समाप्त हो गई है कि रेस को न्यायिक माना जा सकता है। जिस समय के लिए देरी को माफ करने की मांग की जाती है, उसके आधार पर न्यायालय या तो मामले के साथ आगे बढ़ सकता है और मामले पर न्यायिक आधार पर विचार कर सकता है या दूसरे मामले में अपील में कार्यवाही के परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए आगे की कार्यवाही पर रोक लगा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, परीक्षण यह है कि क्या अपील दायर करने में देरी को न्यायालय द्वारा पर्याप्त कारण के बिना माना जा सकता है और इसलिए, प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा सकता है। यह पता लगाना भी महत्वपूर्ण है कि क्या इस बीच तीसरे पक्ष के अधिकार उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने हमारे सामने बड़ी संख्या में निर्णयों का हवाला दिया है, जिसमें यू. के. और यू. एस. की स्थिति भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने यह दिखाने के लिए निर्णयों का हवाला दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, इस तथ्य के बावजूद कि उक्त निर्णय के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है।

14. हम सबसे पहले श्री मेहता द्वारा आग्रह किए गए प्रारंभिक बिंदु पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने वी. राजेश्वरी बनाम में निर्णय को लागू करने पर जोर दिया। टी. सी. सरवनबावा, (2004) 1 एस. सी. सी. 551 इस प्रस्ताव के लिए कि अभिवचनों में उचित रूप से नहीं उठाए गए या मुकदमे के चरण में जारी नहीं किए गए न्यायिक याचिका को लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उक्त निर्णय पर करीब से नज़र डालने से पता चलता है कि इस तरह की याचिका से संबंधित निर्णय को अपील के चरण में पहली बार उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वर्तमान मामले में,

हालांकि पक्षकारों के बीच न्यायिक स्थिति के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था, दोनों पक्षों ने अभिवचनों और निर्णय केनरा बैंक बनाम के आधार पर मामले पर तर्क दिया।

2004 के दो मुकदमों में शामिल। यह दोनों पर पूरी बहस के बाद ही है।

पक्ष यह है कि निचली अदालत ने दिनांकित 30.10.2015 के फैसले में प्रतिवादी की न्यायिक याचिका को स्वीकार कर लिया। अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी, दोनों पक्षों द्वारा उपरोक्त आपत्ति को स्वीकार किए बिना न्यायिक आधार के मुद्दे पर बहस की गई थी। अतः यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया यह आधार प्रत्यर्थियों के अनुकूल नहीं हो सकता है। 15. रेज़ जुडिकाटा का सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 में निहित है, जो, हालांकि सिद्धांत के सभी पहलुओं का संपूर्ण नहीं है, यह दर्शाता है कि भारतीय संदर्भ में रेज़ जुडिकाटा का सिद्धांत वास्तव में क्या है। धारा 11 निम्नानुसार है:

" 11. न्यायपालिका-कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी वाद या मुद्दे का परीक्षण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से जारी किया गया मामला उन्हीं पक्षों के बीच पूर्व मुकदमे में या उन पक्षों के बीच, जिनके तहत वे या उनमें से कोई भी दावा करता है, उसी शीर्षक के तहत मुकदमा कर रहा है, ऐसे बाद के मुकदमे या उस मुकदमे का परीक्षण करने के लिए सक्षम न्यायालय में, जिसमें ऐसा मुद्दा बाद में उठाया गया है, प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से जारी किया गया है।

और ऐसी अदालत द्वारा सुना गया है और अंत में निर्णय लिया गया है।

स्पष्टीकरण I-"पूर्व वाद" पद एक ऐसे वाद को दर्शाता है जिसका निर्णय वाद से पहले किया गया है या नहीं।

न कि यह उससे पहले स्थापित किया गया था।

स्पष्टीकरण II। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी न्यायालय की क्षमता का निर्धारण किसी भी प्रावधान के बावजूद किया जाएगा -

ऐसे न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार। स्पष्टीकरण III। - पूर्ववर्ती मुक़दमे में ऊपर उल्लिखित मामले पर एक पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है और दूसरे पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार या स्वीकार किया गया है।

स्पष्टीकरण IV। — कोई भी मामला जिसे ऐसे पूर्व मुकदमे में बचाव या हमले का आधार बनाया जा सकता था और जिसे बनाया जाना चाहिए था, उसे प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से मुद्दा माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 5-वाद में दावा की गई कोई भी राहत, जो डिक्री द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए अस्वीकार की गई मानी जाएगी। स्पष्टीकरण VI. - जहाँ व्यक्ति सार्वजनिक अधिकार या अपने लिए समान रूप से दावा किए गए निजी अधिकार के संबंध में ईमानदारी से मुकदमा करते हैं [2018] 3 एस. सी. आर.

और अन्य, ऐसे अधिकार में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस तरह के मुकदमेबाजी करने वाले व्यक्तियों के तहत दावा करने वाला माना जाएगा।

स्पष्टीकरण VII। — इस धारा के प्रावधान इस में डिक्री और संदर्भ के निष्पादन के लिए एक कार्यवाही पर लागू होंगे।

किसी वाद, निर्गम या पूर्व वाद की धारा का अर्थ क्रमशः डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाहियों, ऐसी कार्यवाहियों में उत्पन्न होने वाले प्रश्न और पूर्ववर्ती कार्यवाहियों के संदर्भ के रूप में किया जाएगा।

उस डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही।

बाद का वाद या वह वाद जिसमें ऐसा मुद्दा दायर किया गया है। बाद में उठाया गया। "

16. इस न्यायालय ने शिवदान सिंह बनाम. दरियाव कुंवर, (1966) 3,300 (304-305 पर) ने कुछ संतोष के साथ उन शर्तों को कहा है जिन्हें किसी मामले को न्यायपालिका के रूप में गठित करने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। यह

आयोजित:

(i) बाद के वाद या मुद्दे में प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से जारी किया गया मामला वही मामला होना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक पूर्व मुकदमे में जारी किया गया;

(ii) पहला मुकदमा उन्हीं पक्षों के बीच या उन पक्षों के बीच एक मुकदमा होना चाहिए जिनके तहत वे या उनमें से कोई भी दावा करता है; ((iii) पक्षकारों ने एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा दायर किया होगा।

पूर्व सूट;

बाद में मुद्दा उठाया जाता है; और (v) बाद के वाद में प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से जारी मामले की सुनवाई की गई होगी और अंत में न्यायालय द्वारा पहले वाद में निर्णय लिया गया होगा। आगे स्पष्टीकरण I से पता चलता है कि यह वह तारीख नहीं है जिस पर मुकदमा दायर किया जाता है, बल्कि वह तारीख है जिस पर मुकदमा तय किया जाता है, ताकि भले ही कोई मुकदमा बाद में दायर किया गया हो, यह एक पूर्व केनरा बैंक v होगा।

एन. जी. सुब्बाराया शेट्टी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मुकदमा यदि यह पहले तय किया गया है। इसलिये कि

उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई पिछली दो अपीलों में निर्णय

रेज़ जुडिकाटा के रूप में काम करता है यह देखना होगा कि क्या सभी

ऊपर वर्णित पाँच शर्तों को पूरा कर लिया गया है।

ईशान वी. किशन लाल, (1888) आई. एल. आर. 11 ऑल 148 (159-161 पर), सबसे अधिक सक्रिय है। महमूद, जे., पूर्ण पीठ के लिए बोलते हुए, संदर्भितसिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 का चतुर्थ संशोधन, जैसा कि तब था। विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित में उक्त स्पष्टीकरण का उल्लेख किया:

:

" उस खंड के स्पष्टीकरण IV का अंतिम भाग इस प्रकार है -

कुछ हद तक अनिर्दिष्ट भाषा में तैयार किया गया, और निम्नानुसार चलता है:

" अपील के लिए उत्तरदायी निर्णय के अर्थ के भीतर अंतिम हो सकता है

अपील किए जाने तक यह धारा "।

खंड की भाषा इस बारे में मौन है कि जब एक अपील को प्राथमिकता दी जाती है तो क्या होता है; और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत कुछ दो अस्पष्ट शब्दों "मई" और "तक" की व्याख्या पर निर्भर करता है जैसा कि वे उस वाक्य में होते हैं जिसे मैंने अभी उद्धृत किया है। मैं शायद यह कह सकता हूँ कि

उस वाक्य द्वारा उन कुछ शब्दों की तुलना में अधिक लक्षित किया गया है जो उस वाक्य में शामिल हैं। उस सजा से जो बात अस्थिर रह गई है, वह है मद्रास के श्री न्यायमूर्ति होलोवे जैसे प्रतिष्ठित न्यायिक न्यायाधीश द्वारा बताई गई कठिनाई। श्री राजा काकरलापुडी सुरियनारायणाराजू गारू बनाम।

चेल्लमकुरी चेल्लम्मा [5 M.H.C.R. 176] जब उन्होंने यह सीखा

न्यायाधीश ने कहा:

" ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत में यह मान लिया गया था कि पूर्व निर्णय निर्णायक नहीं हो सका क्योंकि एक अपील लंबित थी। यह अंग्रेजी के अनुरूप नहीं है।

कानून, डो वी में प्रत्युत्तर पर निर्णय के रूप में। राइट [10 ए. एंड ई. 763] शो। हालाँकि, अन्य न्यायविदों की नज़र में यह पूरी तरह से सही सिद्धांत होगा (उंगर ऑक्ट. प्राइव। रेक्ट, II, 603, साव। सिस्ट। , 297 , सेक। वैहिर, II, 549)। एक अंग्रेज के रूप में मुझे कारणों के बीच एक तुलना आमंत्रित करने के लिए खेद होना चाहिए।

इन महान न्यायविदों द्वारा उनके और उनमें सन्निहित लोगों के लिए दिया गया

विपरीत सिद्धांत के लिए अंग्रेजी मामले। "[2018] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

XXX XXX XXX

मेरा मानना है कि पॉथियर द्वारा इस प्रकार व्यक्त किए गए विचार और, जैसा कि श्री न्यायमूर्ति होलोवे ने संकेत दिया है, अन्य महाद्वीपीय न्यायविदों द्वारा रेस जुडिकाटा के सिद्धांत के रूप में अपनाए गए विचार, उस व्याख्या के अनुरूप हैं जो मैं एस के स्पष्टीकरण IV पर रखता हूं। 13 सिविल संहिता

निर्णयों के अधिकार के संबंध में प्रक्रिया अभी भी अपील के लिए उत्तरदायी है। इस तरह के निर्णय निश्चित निर्णय नहीं हैं। वे केवल अनंतिम हैं, और अंतिम नहीं होने के कारण न्यायनिर्णायक के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। वास्तव में बंबई उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण ऐसा प्रतीत होता है जब उन्होंने नीलवरु बनाम में कहा था। नीलवरु [आई. एल. आर. 6 बम। 110.] , " हम मानते हैं कि जब किसी विशेष मुद्दे पर पहली बार के न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जाती है

इसके खिलाफ, वह निर्णय न्यायिक रूप से समाप्त हो जाता है और बन जाता है

न्याय के अधीन "।

इस मामले में, इसलिए, नीचे दिए गए दोनों न्यायालय कानूनी रूप से यह अभिनिर्धारित करने में गलत थे कि 10 मार्च, 1886 का पिछला निर्णय, जो इस वाद की स्थापना की तारीख को अभी भी अपील करने के लिए उत्तरदायी था, और जो इस वाद के निर्णय की तारीख को

प्रथम न्यायालय, और निचली अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय की तारीख पर भी, इस न्यायालय में लंबित दूसरी अपील का विषय था (1886 की एस. ए. संख्या 973) जो मलिकाना के संबंध में वादी के अधिकार के संबंध में उसके पक्ष में न्यायनिर्णायक के रूप में काम कर सकती थी।

18. प्रिवी काउंसिल, एस. पी. ए. अन्नामाले बनाम में एक प्रारंभिक निर्णय में। बी. ए. थॉर्नहिल ए. आई. आर. 1931 पी. सी. 263 (264 पर) को इस सवाल का सामना करना पड़ा कि क्या अपील दायर करने से स्वयं न्यायिक प्रभाव पड़ेगा या क्या किसी मामले की सुनवाई हुई और अंत में निर्णय लिया गया कि क्या प्रथम न्यायालय न्यायिक प्रभाव के खिलाफ है जब तक कि इसे अपील पर अलग नहीं कर दिया गया। द.

परिषद आयोजित की गई:

" सिविल प्रक्रिया संहिता, 1889 की धारा 207 में निम्नलिखित प्रावधान हैं -

निम्नलिखित है:

" अदालत द्वारा पारित सभी फरमान, अपील के अधीन, जब अपील की अनुमति दी जाती है, तो पक्षों के बीच अंतिम होंगे; और नहीं

वादी गैर-उपयुक्त होगा।

अपीलार्थी ने कहा कि, इस प्रावधान के तहत, कोई भी डिक्री, जिससे एक अपील निहित है और वास्तव में ली गई है, पक्षकारों के बीच अंतिम नहीं है ताकि न्यायपालिका का गठन किया जा सके, जबकि प्रतिवादी केनरा बैंक v.

तर्क दिया कि इस तरह की डिक्री पक्षों के बीच अंतिम थी और जब तक इसे अपील पर अलग नहीं किया जाता, तब तक न्यायनिर्णायक का गठन किया जाता था। उनके लॉर्डशिप्स की राय में पूर्व दृष्टिकोण सही है, और जहां कोई अपील की जा रही है, ऐसी अपील पर डिक्री की अंतिमता अपील द्वारा योग्य है और डिक्री इस अर्थ में अंतिम नहीं है कि यह समान पक्षों के बीच न्यायनिर्णायक का गठन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों की राय स्पष्ट रूप से एक ही दृष्टिकोण की ओर झुकी हुई है, और उनके प्रभुत्त्वों में कठिनाई है

इस बात की सराहना करते हुए कि विद्वान न्यायाधीशों ने इस बिंदु पर निर्णय लेना क्यों अनावश्यक पाया, क्योंकि इस दृष्टिकोण ने अभी भी न्यायालय के लिए यह देखने के लिए खुला छोड़ दिया है कि अपीलार्थी को एक ही राशि के लिए दो बार डिक्री नहीं मिलती है, और यह उनके निर्णय के लिए उनके द्वारा व्यक्त किए गए अन्य आधार से असंगत है कि अपीलार्थी के कार्रवाई के कारण को कार्रवाई संख्या 4122 में डिक्री में मिला दिया गया था, क्योंकि इस दृष्टिकोण के अनुसार, वह डिक्री अंतिम नहीं थी। उनके प्रभुओं को खेद है कि दूसरी कार्रवाई को पहली कार्रवाई में अपील के निर्णय तक स्थगित नहीं किया गया था, क्योंकि इससे प्रक्रिया सरल हो जाती और बचत होती।

खर्च होता है।

19. इसलिए, हमारा कानून अमेरिकी कानून से अलग है-एक डिक्री जिससे एक अपील होती है और वास्तव में दायर की गई है, वह न्याय के अधीन होगी न कि न्यायिक। प्रिवी काउंसिल के इस फैसले का इस देश के उच्च न्यायालयों ने बार-बार पालन किया है। देखिए, परशोतम परभूदास बनाम। बाई मोती ए. आई. आर. 1963 गुजरात 30 पैरा 8, भवानी अम्मा बनाम। नारायण आचार्य ए. आई. आर. 1963 मैसूर 120 पैरा

2 , सत्यनारायण प्रसाद गुप्टू बनाम। डायना इंजीनियरिंग कंपनी ए. आई. आर. 1952 कलकत्ता 124 पैरा 10 पर और वेंकटेश्वरलू बनाम। वेंकट नरसिम्हम ए. आई. आर. 1957 आंध्र प्रदेश 557 पैरा 3 पर।

20. चेंगलवाला गुरराजू बनाम। मादापति वेंकटेश्वर

पंक्ति पंतुलु गारू ए. आई. आर. 1917 मद्रास 597 पर 599-600, मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने बालकिशन (ऊपर) का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया।

इसके बाद अदालत ने कहा:

" 1882 की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 का स्पष्टीकरण 4 जिसमें यह अधिनियमित किया गया था कि अपील करने के लिए उत्तरदायी निर्णय धारा के अर्थ के भीतर अंतिम हो सकता है जब तक कि अपील की जाती है, वर्तमान संहिता (1908 की) में हटा दिया गया है और चूक (जो पूरी संभावना में बाल किशन बनाम में निर्णय को ध्यान में रखते हुए की गई थी)। किशन लाल

(1889) 11 सभी 148) प्रश्न से निपटने में किसी भी संदेह या कठिनाइयों को दूर करते हैं और [2018] 3 एस. सी. आर. पर अटकलें लगाना आवश्यक नहीं है।

उन मामलों का वर्ग जिन पर यह स्पष्टीकरण लागू किया जा सकता है यदि अपील के लिए उत्तरदायी निर्णय केवल अस्थायी माना जाता है और नहीं

रेस जुडिकाटा के रूप में कार्यात्मक।

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति जो मुकदमे के निपटारे और अपील दायर करने की तारीख के बीच संपत्ति खरीदता है, वह कानूनी दंड के नियम से बाध्य होगाः गोबिंद चंदर रॉय बनाम। गुरु चूरन कुर्मोकर (1888) 15 कल। 94 , दीननाथ घोष बनाम।

शमा बीबी (1901) 28 कल। 23 , सुखदेव प्रसाद बनाम। जमना (1901) 23 ऑल 60, सेटप्पा गौंडेन बनाम। मुथिया गौंडेन (1908) 31

पागल। 268. यदि अपील केवल मूल कार्यवाही की निरंतरता है और मुकदमा, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 के उद्देश्य के लिए, तारीख के बीच लंबित माना जाता है डिक्री और अपील दायर करने के मामले में, यह समझना मुश्किल है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के साथ व्यवहार करते समय वही नियम क्यों लागू नहीं होना चाहिए।

XXX XXX XXX

जहां तक समय से बाहर और पक्षों के बीच स्वतंत्र अधिकारों के परिपक्व होने के बाद दायर की गई अपीलों का संबंध है, यह संभावना नहीं है कि अदालतें देरी को माफ कर देंगी, अगर अंतराल के दौरान अन्य अधिकार आते हैं।

राय है कि उप-कलेक्टर यह ठहराने में गलत था कि निर्णय उनके द्वारा मुकदमे संख्या में पारित किया गया था। 466 1909 और 1910 के 276 में उनकी डिक्री की तारीख और अपील दायर करने के लिए कानून द्वारा अनुमत समय के बीच के अंतराल के दौरान न्यायपालिका का बल था। 21. बैजनाथ कर्णानी बनाम में इस निर्णय का पालन किया गया था।

वल्लभदास दमानी, ए. आई. आर. 1933 मद्रास 511 514 पर।

22. उपरोक्त अधिकारियों के पर्यवेक्षक से पता चलता है कि जब तक

अपील दायर करने के लिए सीमा अवधि समाप्त हो गई है, निर्णय विचाराधीन रहता है। सीमा अवधि समाप्त होने के बाद, पहले न्यायालय द्वारा तय किया गया निर्णय न्यायपालिका बन जाएगा। हालांकि, सवाल उठते हैं कि उन मामलों में क्या किया जाना चाहिए जहां दूसरे मामले में सुनवाई पहले मामले में अपील दायर करने की सीमा अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद होती है। कम से कम दो निर्णय, एक प्रिवी काउंसिल और एक बॉम्बे केनरा बैंक बनाम।

एन. जी. सुब्बाराया शेट्टी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि, उपयुक्त मामलों में, दूसरे मामले में सुनवाई को स्थगित किया जा सकता है या पहले मामले में अपील के परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए रोक लगाई जा सकती है। देखिए, चंद्र सिंह दुधोरिया बनाम। मिदनापुर जेमिन्डरी कंपनी लिमिटेड (1941) 69 आई. ए. 51 (पी. सी.) 58-59 और इंद्र सिंह एंड संस लिमिटेड v. शियावैक्स। सी. कैंबाटा, आईएलआर 1948 बम 346 352 पर।

23. यदि अपील दायर करने की सीमा की अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई है

या हाल ही में समाप्त हुआ है, दूसरी कार्यवाही की सुनवाई करने वाला न्यायालय उस पक्ष से बहुत अच्छी तरह से पूछ सकता है जो पहले दौर में हार गया है कि क्या वह उपरोक्त फैसले के खिलाफ अपील करने का इरादा रखता है। यदि उत्तर हाँ है, तो पहली कार्यवाही में अपील के परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए, अपील दायर होने के बाद, पहले दूसरी कार्यवाही को स्थगित करना और फिर उपरोक्त कार्यवाही पर रोक लगाना विवेकपूर्ण होगा। हालाँकि, यदि सीमा समाप्त होने के बाद पर्याप्त लंबी अवधि बीत गई है, और पहली कार्यवाही में अभी तक कोई अपील दायर नहीं की गई है, तो दूसरी कार्यवाही की सुनवाई करने वाला न्यायालय पहली कार्यवाही को न्यायिक प्रक्रिया के रूप में मानने में उचित होगा। कोई कठोर और तेज़ नियम लागू नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक मामले में पूरी तथ्य परिस्थिति को यह निर्णय लेने से पहले देखा जाना चाहिए कि क्या दूसरी कार्यवाही के आधार पर आगे बढ़ना है या पहली कार्यवाही में परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए दूसरी कार्यवाही को स्थगित करना और/या रोकना है। कई कारकों को होना चाहिए

पहली कार्रवाई। इसके परिणामस्वरूप दूसरी कार्यवाही में निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया जाएगा और रिमांड पर शुरू होने वाली दूसरी कार्यवाही में गुण-दोष पर नए सिरे से सुनवाई होगी, जिससे अदालत का समय बर्बाद होगा। और पक्षकारों को मामले के गुण-दोष पर मुकदमे के दूसरे दौर में घसीटना।

24. वर्तमान मामले में, दलीलें सुनने और अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय सुरक्षित रखने के बाद एक विलंबित समीक्षा याचिका दायर की गई थी।

क्या इस न्यायालय को यह तय करने से पहले उक्त समीक्षा याचिका के परिणाम का इंतजार करना होगा कि क्या 27.4.2013 का निर्णय न्यायिक है? जाहिर है, नहीं। यह स्पष्ट है कि चार साल से अधिक की देरी के लिए क्षमा आवेदन के साथ दिनांक 1 के फैसले के लंबे समय बाद दायर एक समीक्षा याचिका को संभवतः अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा कुछ भी नहीं माना जा सकता है। ऐसा होने के कारण, हम इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या इस मामले में दूसरी कार्यवाही, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर 2008 के मुकदमे में दिनांकित 27.4.2013 के निर्णय को न्यायिक आधार माना जा सकता है। अब हम मथुरा प्रसाद (उपरोक्त) में निहित सिद्धांतों के अनुप्रयोग के आधार पर श्री ध्रुव मेहता के तर्क पर आते हैं।

25. मथुरा प्रसाद (ऊपर) में, एक सवाल उठाया गया कि क्या लघु कारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर एक गलत निर्णय

बॉम्बे रेंट, होटल और लॉजिंग हाउस रेट कंट्रोल एक्ट, 1947 से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही का संबंध न्यायिक होगा। उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार को इस न्यायालय द्वारा 1962 में खारिज कर दिया गया था, उस समय तक विचारण न्यायाधीश और बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने परिसर के मानक किराए को निर्धारित करने के आदेश के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया था। इस न्यायालय ने निर्धारित किया:

" 5. लेकिन रेस जुडिकाटा का सिद्धांत प्रक्रिया के क्षेत्र से संबंधित है: इसे पक्षों के बीच विधायी निर्देश की स्थिति के लिए ऊँचा नहीं किया जा सकता है ताकि अंततः उनके बीच न्यायालय की अधिकारिता को प्रभावित करने वाले अधिनियम की व्याख्या से संबंधित प्रश्न का निर्धारण किया जा सके, भले ही तथ्य का कोई प्रश्न या कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न और पक्षों के बीच विवाद में अधिकार से संबंधित कोई प्रश्न निर्धारित नहीं किया गया हो। किसी मुद्दे पर किसी सक्षम न्यायालय का निर्णय उन्हीं पक्षों के बीच किसी अन्य कार्यवाही में न्यायिक हो सकता है: "मुद्दा" तथ्य का मुद्दा, कानून का मुद्दा, या मिश्रित कानून और तथ्य का मुद्दा हो सकता है। तथ्य का मुद्दा या मिश्रित कानून और तथ्य का मुद्दा जो किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा तय किया गया हो। न्यायालय अंततः पक्षों के बीच निर्धारित किया जाता है और किसी अन्य कार्यवाही में उनके बीच फिर से नहीं खोला जा सकता है। केवल किसी मुद्दे पर पिछला निर्णय न्यायिक है: निर्णय के कारण न्यायिक नहीं हैं। पक्षों के बीच मुद्दा एक पक्ष द्वारा दावा किया गया अधिकार है और दूसरे द्वारा अस्वीकार किया गया है, और अपनी प्रकृति से अधिकार का दावा सबूत पर निर्भर करता है

तथ्य और उससे संबंधित कानून का अनुप्रयोग। तथ्यों से असंबंधित कानून का एक शुद्ध प्रश्न जो एक अधिकार को जन्म देता है, को मुद्दा नहीं माना जा सकता है। जब यह कहा जाता है कि पिछला केनरा बैंक v.

एन. जी. सुब्बाराया शेट्टी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

निर्णय न्यायिक है, इसका मतलब है कि दावा किए गए अधिकार पर निर्णय लिया गया है और इसे फिर से उन्हीं पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा में नहीं रखा जा सकता है। तथ्यों पर एक सक्षम न्यायालय का पिछला निर्णय जो लेन-देन के निर्धारण के लिए लागू अधिकार और प्रासंगिक कानून की नींव है अधिकार का स्रोत रेस जुडिकाटा है। किसी मुद्दे पर पिछला निर्णय एक समग्र निर्णय है: कानून पर निर्णय नहीं हो सकता है

उन तथ्यों पर निर्णय से अलग किया गया है जिन पर अधिकार स्थापित किया गया है। कानून के किसी मुद्दे पर निर्णय उन्हीं पक्षों के बीच बाद की कार्यवाही में न्यायिक होगा, यदि बाद की कार्यवाही का कारण पिछली कार्यवाही के समान है, लेकिन तब नहीं जब कार्रवाई का कारण अलग है, और न ही जब कानून को पहले के निर्णय से बदल दिया गया है।

सक्षम प्राधिकारी, और न ही जब निर्णय पूर्ववर्ती कार्यवाही का परीक्षण करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित हो, और न ही जब पूर्ववर्ती निर्णय किसी ऐसे लेनदेन को वैध घोषित करता है जो कानून द्वारा निषिद्ध है। XXX XXX XXX

7. जहां पहले के निर्णय के बाद से कानून में बदलाव किया गया है, वहां पहले का निर्णय उन्हीं पक्षों के बीच न्यायिक आधार के रूप में काम नहीं करेगा: तारिणी चरण भट्टाचार्जी का मामला। यह स्पष्ट है कि बाद की कार्यवाही में मुद्दा पिछली कार्यवाही के समान नहीं है, क्योंकि व्याख्या की गई कानून अलग है।

8. कर लगाने से संबंधित मामले में संपत्ति का मूल्यांकन करने या एक अलग कर योग्य अवधि या घटना में कर के लिए दायित्व निर्धारित करने का निर्णय केवल उस अवधि या घटना में बाध्यकारी है, और बाद के वर्षों में बाध्यकारी नहीं है, और इसलिए न्यायपालिका के नियम का कोई अनुप्रयोग नहीं है: ब्रोकन हिल प्रोपराइटरी कंपनी लिमिटेड बनाम देखें।

9. न्यायालय की अधिकारिता का प्रश्न, या प्रक्रिया का प्रश्न, या कानून का एक शुद्ध प्रश्न जो पक्षकारों के अधिकार से असंबंधित है पिछला मुकदमा, बाद के मुकदमे में न्यायिक मामला नहीं है। रैंकिन, सी. जे. ने तारिणी चरण भट्टाचार्जी के मामले में कहा:

" रेस जुडिकाटा के सिद्धांत का उद्देश्य इस पर दृढ़ होना नहीं है।

पक्षकारों के लिए कानून के विशेष सिद्धांत जो उनके लिए लागू होते हैं, लेकिन उनके अधिकारों और उन तथ्यों का पता लगाने के लिए जिन पर ये अधिकार प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक निर्भर करते हैं; और पक्षों [2018] 3 एस. सी. आर. को छोड़कर इस निर्धारण को निरर्थक होने से रोकने के लिए।

जो अंत में हो गया है उसे फिर से खोलने या फिर से चुनाव लड़ने से तय किया "।

10. न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्न नहीं हो सकता है

अंततः एक गलत निर्णय द्वारा निर्धारित किया गया माना जाता है अदालत से। यदि कानून की गलत व्याख्या से

न्यायालय का मानना है कि इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, प्रश्न में नहीं होगा हमारा निर्णय रेज़ जुडिकाटा के रूप में कार्य करता है। इसी तरह एक त्रुटिपूर्ण द्वारा

निर्णय यदि न्यायालय अधिकारिता ग्रहण करता है जो उसके पास नहीं है

कानून के तहत, प्रश्न न्यायपालिका के रूप में काम नहीं कर सकता है

समान पक्षों के बीच, क्या कार्रवाई का कारण

बाद की मुकदमेबाजी समान या अन्यथा है।

11. यह सच है कि रेस के नियम के अनुप्रयोग को निर्धारित करने में

न्यायपालिका न्यायालय शुद्धता से संबंधित नहीं है या

अन्यथा पूर्व निर्णय। मुद्दा, अगर यह एक है विशुद्ध रूप से तथ्य, एक सक्षम द्वारा पहले की कार्यवाही में निर्णय लिया गया

न्यायालय को समान पक्षों के बीच बाद की मुकदमेबाजी में होना चाहिए

अंत में निर्णय लिया गया माना जाता है और फिर से नहीं खोला जा सकता है। एक मिश्रित

पूर्ववर्ती कार्यवाही में निर्धारित विधि और तथ्य का प्रश्न

समान पक्षों के बीच, उसी कारण से, नहीं हो सकता है उन्हीं पक्षों के बीच बाद की कार्यवाही में पूछताछ की गई।

लेकिन, जहां निर्णय कानून के प्रश्न पर है अर्थात व्याख्या

किसी कानून के अनुसार, यह बाद की कार्यवाही में न्यायिक होगा।

समान पक्षों के बीच जहां कार्रवाई का कारण समान है, संहिता की धारा 11 में "मुद्दे में मामला" अभिव्यक्ति के लिए

सिविल प्रक्रिया का अर्थ है पक्षों के बीच मुकदमा चलाने का अधिकार।

अर्थात् वे तथ्य जिन पर अधिकार का दावा किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है और कानून उस मुद्दे के निर्धारण पर लागू होता है। हालांकि, जहां

प्रश्न विशुद्ध रूप से कानून का है और यह इसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित है

अवैध, रेस जुडिकाटा के नियम का सहारा लेकर एक पक्ष द्वारा प्रभावित निर्णय की वैधता को चुनौती देने से रोका नहीं जाएगा।

न्यायिक प्रक्रिया के नियम के तहत आदेश, प्रक्रिया के नियम के लिए नहीं हो सकता है देश के कानून को हटा दें।"

[जोर दिया गया]

(पृष्ठों पर 617-619)

26. अंततः, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सिविल के निर्णय के बाद से

ई कि उसके पास मानक के अनुप्रयोग पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था

उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, स्पष्ट रूप से गलत था, केनरा बैंक बनाम।

एन. जी. सुब्बाराया शेट्टी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पिछली कार्यवाहियों में निर्णय को निर्णायक नहीं माना जा सकता है। इसलिए, अपीलों की अनुमति दी गई और उच्च न्यायालय और लघु कारणों के न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार कर दिया गया और कार्यवाही की गई। प्रथम दृष्टांत न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया गया।

27. इस फैसले का कई मामलों में पालन किया गया है। सुशील कुमार मेहता बनाम। गोबिंद राम बोहरा (1990) 1 एस. सी. सी. 193

उपरोक्त निर्णय को पैराग्राफ 20 और 21 में संदर्भित किया गया था और इसका पालन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जहां अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी है, जो एक गलत निर्णय पर निर्भर करती है, तो पहले के गलत निर्णय को न्यायिक नहीं माना जा सकता है।

इसी तरह, इसाबेला जॉनसन (श्रीमती) बनाम। एम. ए. सुसाई (1991) 1 एस. सी. सी. 494, इस न्यायालय ने मथुरा प्रसाद (उपरोक्त) में निहित कानून को निर्धारित करने के बाद कहा कि एक न्यायालय जिसे कानून में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, उसे न्यायपालिका के सिद्धांत को लागू करके अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कानून के शुद्ध प्रश्न पर कोई रोक नहीं है जो अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।

28. पंजाब और हरियाणा की पूर्ण पीठ का एक निर्देशात्मक निर्णय

उच्च न्यायालय का उल्लेख हमारे समक्ष श्री विश्वनाथन, पंजाब राज्य बनाम द्वारा किया गया था। नंद किशोर, ए. आई. आर. 1974 पंजाब और हरियाणा 303 308-309 पर, जिसने आगे मथुरा प्रसाद (ऊपर) के अनुपात की व्याख्या की। मथुरा प्रसाद (उपरोक्त) का उल्लेख करने के बाद पूर्ण पीठ को जिस बात ने परेशान किया, वह यह था कि क्या अंतर-पक्षकारों द्वारा तय किए गए कानून के मुद्दे को उन्हीं पक्षों के बीच बाद की कार्यवाही में न्यायिक आधार पर रखा जा सकता है। मोहनलाल गोयनका बनाम का उल्लेख करने के बाद। बिनॉय कृष्ण मुखर्जी, (1953) एस. सी. आर. 377, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कानून के प्रश्न पर एक गलत निर्णय भी पक्षों और सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न अन्य निर्णयों के बीच न्यायिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने बहुमत निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया:

" 17. तो फिर मथुरा प्रसाद के मामले में अनुपात निर्णय क्या है? यह स्पष्ट है कि अपील में एकमात्र मुद्दा लघु कारणों के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में था

एक खुली जगह का पट्टा। इसलिए, प्राधिकरण मुख्य रूप से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के सीमित मुद्दे पर एक उदाहरण है। उसमें निर्धारण के लिए प्रत्यक्ष रूप से क्या उत्पन्न हुआ और क्या किया गया है उनके अधिपतियों द्वारा
विशेष रूप से निर्धारित किया गया है कि किसी न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में पिछली कार्यवाही में एक स्पष्ट रूप से गलत निर्णय (सीधे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत) पक्षों के बीच न्यायिक स्थिति नहीं बन सकता है।

ऐसा अभिनिर्धारित करने का कारण यह था कि इस तरह का परिणाम विधायिका द्वारा घोषित कानून के शासन का उल्लंघन करते हुए न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में पक्षों के लिए लागू कानून का एक विशेष नियम बनाएगा। यह स्पष्ट है कि यह उच्चारण एक उत्कीर्ण अपवाद था

निर्णय में ही देखा गया सामान्य सिद्धांत, अर्थात, कानून का एक प्रश्न जिसमें एक क़ानून की व्याख्या भी शामिल है, उन्हीं पक्षों के बीच न्याय संगत होगा जहां कार्रवाई का कारण समान है।

मेरा विचार है कि निर्णय से यहाँ और वहाँ एक अवलोकन और एक वाक्य निकालना और उस पर इस आधार पर निर्माण करना कि कुछ परिणाम तार्किक रूप से उसका अनुसरण करते हैं, लाभहीन और वास्तव में अनुचित है। पूर्ववर्ती के इस तरह के उपयोग को क्विन बनाम में अर्ल ऑफ हैल्सबरी एल. सी. द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। लीथेम 1901 एसी 405। उस दृष्टिकोण को स्वीकार करना और व्यापक रूप से उद्धृत करना

उड़ीसा राज्य बनाम में उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपत्य से। सुधांशु शेखर मिश्रा ए. आई. आर 1968 एस. सी. 647 ने स्पष्ट रूप से

निम्नलिखित रूप में देखा गया:

" निर्णय केवल एक प्राधिकरण है कि वह वास्तव में क्या निर्णय लेता है। एक निर्णय में जो सार है वह इसका अनुपात है और न ही वहाँ पाए जाने वाले प्रत्येक अवलोकन और न ही जो तार्किक रूप से उससे आगे आता है।

इसमें किए गए विभिन्न अवलोकन "।

18. इसलिए सख्ती से, मथुरा प्रसाद के मामले का अनुपात निर्णय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे तक ही सीमित है, लेकिन समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि उनके प्रभुओं का आज्ञाकारी आदेश सबसे अधिक सम्मान और महत्व का हकदार है और वास्तव में बाध्यकारी है यदि यह पाया जा सके कि वे कानून का एक सिद्धांत निर्धारित करने का इरादा रखते थे। इसलिए, मुद्दा यह है कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुपात के अलावा और क्या निर्धारित करने की मांग की गई थी। बहुत ही।

निर्णय के मुख्य भाग में उनके प्रभुओं द्वारा उपयोग की जाने वाली बारीकी से संरक्षित भाषा मुझे इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि वे अपनी टिप्पणियों को संकीर्ण सीमाओं के भीतर सीमित रखना चाहते थे। प्रयोग की गई अभिव्यक्ति

(जिसे प्रत्यर्थी की ओर से विस्तारित करने की मांग की जाती है) "कानून का एक शुद्ध प्रश्न है जो पक्षकारों के अधिकार से असंबंधित है

पिछला सूट "। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके प्रभुत्व, भाषा की उनकी सावधानीपूर्वक सटीकता के साथ, निर्णय में कहीं भी निर्धारित नहीं है कि कानून का एक शुद्ध प्रश्न कभी भी पक्षों के बीच न्यायिक नहीं हो सकता है। वास्तव में इसके विपरीत शब्दों में कहा गया है। इसलिए, उपरोक्त अभिव्यक्ति में इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि कानून का ऐसा शुद्ध प्रश्न केनरा बैंक v से असंबंधित होना चाहिए।

एन. जी. सुब्बाराया शेट्टी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पक्षों के अधिकार। यह देखा गया है कि कानून के प्रश्न पर किसी न्यायालय के निर्णय को उन तथ्यों पर निर्णय से पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है जिन पर अधिकार आधारित है। नतीजतन, "पक्षों के अधिकारों से असंबंधित कानून का एक शुद्ध प्रश्न" अभिव्यक्ति द्वारा वास्तव में क्या सूचित किया जाना था, उनकी प्रभुताओं द्वारा ही व्याख्या की गई थी। विस्तृत होने का इरादा किए बिना, न्यायालय ने विशेष रूप से उन असाधारण मामलों का संकेत दिया है जिनमें उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के सामान्य सिद्धांत के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष विचार लागू होते हैं। सिद्धांत

कानून के बारे में जिसे उनके अधिपतियों ने यहाँ दोहराया है, वह यह है कि एक क़ानून की व्याख्या सहित कानून का एक शुद्ध प्रश्न उन्हीं पक्षों के बीच बाद की कार्यवाही में न्यायिक होगा। इस हितकारी नियम के लिए, चार विशिष्ट अपवाद बताए गए हैं। सबसे पहले, स्पष्ट रूप से, कि जब कार्रवाई का कारण अलग होता है, तो रेस जुडिकाटा का नियम आकर्षित नहीं होगा। दूसरा, जहां कानून में, पहले के निर्णय के बाद से, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन किया गया है। तीसरा, जहां न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित पक्षों के बीच पहले की कार्यवाही का परीक्षण करने का निर्णय लिया गया था,

उसे पक्षों पर लागू कानून के विशेष नियम का दर्जा ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसलिए, मामला न्यायिक नहीं होगा। चौथा, जहां पहले के निर्णय ने एक ऐसे लेन-देन को वैध घोषित किया है जो कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध है, कहने का मतलब है, यह एक स्पष्ट अवैधता को पवित्र करता है।

तथ्यों पर, पूर्ण पीठ के बहुमत के फैसले में कहा गया कि

इससे पहले अंतर-पक्षीय निर्णय न्यायिक था क्योंकि यह कानून के सवाल पर था जो पक्षों के अधिकारों से असंबंधित नहीं था। शर्मा, जे. उन्होंने इस दृष्टिकोण से असहमति जताई और कहा कि पहले के मामले में दिया गया निर्णय गलत था और न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित था। चूँकि अधिकारिता के एक बिंदु पर एक गलत निर्णय न्यायिक आधार के रूप में काम नहीं कर सकता है, इसलिए विद्वान न्यायाधीश ने असहमति जताई।

29. पूर्ण पीठ के फैसले के अनुसार खंड पीठ के फैसले की अपील के परिणामस्वरूप नंद किशोर बनाम मामले में निर्णय हुआ। राज्य पंजाब का, (1995) 6 एस. सी. सी. 614। तथ्यों के संक्षिप्त विवरण से पता चलता है कि अपीलार्थी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था, जिसने पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 5.32 (बी) के अनुसरण में केवल दस साल की योग्यता सेवा पूरी की थी। अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर एक रिट याचिका को 2.2.1962 पर खारिज कर दिया गया था।

अपीलार्थी ने [2018] 3 एस. सी. आर. में नियम 5.32 (बी) की वैधता पर सवाल नहीं उठाया था।

उपरोक्त रिट याचिका। हालाँकि, मोती राम डेका बनाम में। जनरल

प्रबंधक, एन. ई. फ्रंटियर रेलवे, (1964) 5 एस. सी. आर. 683, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति नियम किसी प्राधिकारी को अपने कार्यकाल के बहुत शुरुआती चरण में सेवानिवृत्त होने की अनुमति देता है, तो ऐसा नियम संवैधानिक रूप से अमान्य हो सकता है। मोती राम डेका (ऊपर) में निर्णय से प्रेरित होकर अपीलार्थी ने 1964 में इस घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया कि उपरोक्त नियमों का नियम 5.32 संवैधानिक रूप से अमान्य था। इस न्यायालय ने गुरदेव सिंह सिद्धू बनाम मामले में नियम 5.32 के समान सामग्री नियम को निरस्त कर दिया था। पंजाब राज्य, (1964) 7 एससीआर 587। हालाँकि, चूंकि अपीलार्थी द्वारा पहले एक रिट याचिका दायर की गई थी, इसलिए पंजाब राज्य ने अपीलार्थी द्वारा दायर मुकदमे के लिए अपने लिखित बयान में रचनात्मक न्यायिक याचिका पर विचार किया। इस याचिका का उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने समर्थन किया 8.5.1974 पर अदालत, जिसके बाद एक खंड पीठ ने 13.8.1974 पर पंजाब राज्य की अपील को स्वीकार कर लिया। इस निर्णय से ही इस न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई, जैसा कि यहाँ ऊपर कहा गया है। इस न्यायालय ने 6.12.1990 पर, अपीलार्थी को देरी को माफ करने के लिए एक उचित आवेदन के साथ, उसकी दिनांकित 5.2.1962 की रिट याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश से एक विशेष अनुमति याचिका दायर करने की सलाह दी। इस न्यायालय द्वारा विशेष मामले में न्याय के हित में देरी को माफ कर दिया गया था।

अनुच्छेद 142 के तहत इस मामले की परिस्थितियों और कथित विलंबित अपील को गुरदेव सिंह (ऊपर) के बाद अनुमति दी गई थी और

अपीलार्थी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश। इस तरह का निर्णय लेने के बावजूद, यह न्यायालय रचनात्मक न्याय व्यवस्था के सिद्धांत में गया और निर्णय लिया कि कानून के प्रावधान की संवैधानिकता कानून के अन्य प्रश्नों से अलग है। चूँकि सभी कानूनों की संवैधानिकता का अनुमान है, रचनात्मक न्यायपालिका के "सामर्थ्य और कर्तव्य" नियम को लागू नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय इस न्यायालय द्वारा जो लागू किया गया था वह मथुरा प्रसाद (ऊपर) में निर्णय का वह हिस्सा था जिसमें कहा गया था कि जब कानून, जब से अपीलार्थी की रिट याचिका में पहले के निर्णय को एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा बदल दिया गया है, तो न्यायिक आदेश लागू नहीं हो सकता है। पंजाब उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ को इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था कि एक "सक्षम प्राधिकारी" भी एक न्यायालय हो सकता है। इसलिए, कानून की एक बदली हुई घोषणा भी एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा बदले जाने वाले पहले के निर्णय के अंतर्गत आएगी। अतः इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि यह

अदालत ने खुद कानून को बदल दिया था जब उसने पारि मैटेरिया नियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता था।

30. इलाहाबाद विकास प्राधिकरण बनाम। नसीरुज्जमान

(1996) 6 एस. सी. सी. 424, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब पिछला निर्णय केनरा बैंक बनाम था।

अपने चेहरे पर गलत पाया गया, इस तरह का निर्णय न्यायिक आधार पर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इस तरह के निर्णय को प्रभावी बनाना एक वैधानिक निषेध का विरोध करना होगा। उस मामले के तथ्यों पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि भूमि अधिग्रहण मामले में, राज्य के पक्ष में निहित होने के बाद, स्पष्ट रूप से, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत अधिसूचना की चूक संभवतः उत्पन्न नहीं हो सकती है।

31. शकुंतला देवी बनाम। कमला (2005) 5 एस. सी. सी. 390, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसके विपरीत कानून में बदली हुई स्थिति को देखते हुए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 पर V.Tulasamma बनाम. V.Sesha रेड्डी (1977) 3 SCC 99 द्वारा दी गई व्याख्या, जिन निर्णयों को खारिज कर दिया गया था, उन पर आधारित पहले का डिक्री न्यायिक आदेश के रूप में काम नहीं कर सकती है। यह नंद किशोर (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप है।

32. चूंकि मथुरा प्रसाद (ऊपर) ने पूर्ण पीठ का अनुसरण किया

तारिणी चरण भट्टाचार्जी और अन्य मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय v. केदार नाथ हलदर, ए. आई. आर. 1928 कलकत्ता 777 (781 782 पर), यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि पूर्ण पीठ ने अपने द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में क्या कहा-अर्थात्, क्या कानून के शुद्ध प्रश्न पर एक गलत निर्णय बाद के मुकदमे में न्यायपालिका के रूप में कार्य करता है जहां वही प्रश्न उठाया जाता है। पूर्ण पीठ द्वारा दिया गया उत्तर नीचे दिए गए चार प्रस्तावों में दिया गया है:

" (1) यह सवाल कि क्या निर्णय सही है या गलत है, इस सवाल पर कोई असर नहीं पड़ता कि यह काम करता है या नहीं।

न्यायपालिका के रूप में कार्य करें। सिद्धांत यह है कि निश्चित रूप से

परिस्थितियों में, न्यायालय किसी वाद या मुद्दे का परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन इस आधार पर मामले से निपटेगा कि यह एक ऐसा मामला है जो पिछले निर्णय के कारण अब लड़ने के लिए खुला नहीं है। इन परिस्थितियों में, किसी न्यायालय के लिए यह आवश्यक रूप से गलत होना चाहिए कि वह मुकदमे या मुद्दे का परीक्षण करे, उस पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचे, इस बात पर विचार करे कि क्या पिछला निर्णय सही है और उसी के अनुसार इसे प्रभावी बनाता है या नहीं, क्योंकि यह पिछले निर्णय को सही या गलत मानता है। इस तरह की अव्यवस्थित प्रक्रिया के परिणामस्वरूप यह कहना कि पिछला निर्णय गलत था और यह कि यह कानून के एक बिंदु पर या कानून के शुद्ध बिंदु पर गलत था, और इसलिए, इसकी अवहेलना की जा सकती है, तर्क का एक असमर्थनीय रूप है। इस उद्देश्य के लिए, यह सच नहीं है कि एक बिंदु

कानून हमेशा एक पक्ष के लिए खुला रहता है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2) भारत में, सभी घटनाओं में, एक पक्ष जो न्यायिक याचिका का अनुरोध करता है, उसे यह दिखाना होता है कि मामला प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक पूर्व के मुकदमे में सीधे और काफी हद तक मुद्दा रहा है और

कि यह सुना गया है और अंत में निर्णय लिया गया है। इस वाक्यांश "प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक मुद्दे में मायने रखता है" को एक समझदारी और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण दिया जाना चाहिए।

हमला "। संहिता की धारा 11 कार्रवाई के कारणों के बारे में कुछ नहीं कहती है, एक वाक्यांश जिसे हमेशा सावधानीपूर्वक संभालने की आवश्यकता होती है। न ही यह धारा कानूनी बिंदुओं या शुद्ध बिंदुओं के बारे में कुछ कहती है। कानून के बिंदु। एक नियम के रूप में पार्टियां अकादमिक या अमूर्त प्रश्नों पर मुद्दे में शामिल नहीं होती हैं, बल्कि अपने लिए महत्वपूर्ण मामलों पर होती हैं। इस धारा में यह अपेक्षा की गई है कि सिद्धांत को उन मामलों तक सीमित रखा जाए जो प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही महत्वपूर्ण रूप से मुद्दे में हैं।

(3) कानून के प्रश्न सभी प्रकार के होते हैं और उनसे ऐसे नहीं निपटा जा सकता जैसे कि वे सभी समान हों। प्रक्रिया के प्रश्न, अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रश्न, सीमा के प्रश्न, सभी कानून के प्रश्न हो सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में पक्षकारों के अधिकार ही एकमात्र विचार का विषय नहीं हैं। न्यायालय और जनता का हित है। जब ऐसे मामलों के संदर्भ में न्यायिक याचिका दायर की जाती है, तो यह कम से कम एक सवाल होता है कि क्या विशेष विचार लागू नहीं होते हैं।

(4) किसी भी मामले में जिसमें यह पाया जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से जारी किया गया मामला पूर्व के मुकदमे में प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से जारी किया गया है और इस तरह के न्यायालय द्वारा सुना गया है और अंत में निर्णय लिया गया है, प्रति न्यायिकता के सिद्धांत को केवल इस आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि पिछले निर्णय के तर्क, चाहे कानून में हो या अन्यथा, पर किसी विशेष बिंदु पर हमला किया जा सकता है। दूसरी ओर संहिता की धारा 11 की शर्तों से यह स्पष्ट है कि पक्षों के बीच जो निर्णायक बनाया जाता है वह न्यायालय का निर्णय है और यह कि न्यायालय का तर्क आवश्यक रूप से उसके निर्णय के समान नहीं है। रेज़ जुडिकाटा के सिद्धांत का उद्देश्य पक्षों पर कानून के विशेष सिद्धांतों को लागू करना नहीं है जो उनके लिए लागू होते हैं, बल्कि उनके अधिकारों और उन तथ्यों का पता लगाना है जिन पर ये अधिकार प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक निर्भर करते हैं; और पार्टियों को फिर से खोलने या फिर से चुनाव लड़ने से रोककर इस निर्धारण को निरर्थक होने से रोकना है जो अंततः तय किया गया है। केनरा बैंक बनाम

एन. जी. सुब्बाराया शेट्टी

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

33. जिन अधिकारियों को संदर्भित किया गया है, उनके परिप्रेक्षय को देखते हुए

यहाँ ऊपर, इस विषय पर कानून इस प्रकार कहा जा सकता है:

(1) सामान्य नियम यह है कि सभी मुद्दे जो एक ही पक्ष के बीच पूर्व मुकदमे या कार्यवाही में प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से उत्पन्न होते हैं।

बाद के मुकदमे या उन्हीं पक्षों के बीच की कार्यवाही में न्यायिक कार्रवाई की जाती है। इनमें तथ्य के मुद्दे, तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न और कानून के मुद्दे शामिल होंगे। (2) कानून के इस सामान्य प्रस्ताव के कुछ अपवाद हैं जब कानून के मुद्दों की बात आती है:

(i) जहां किसी पूर्व वाद या कार्यवाही में समान पक्षों के बीच निर्णय लिया गया कानून का कोई मुद्दा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है,

पूर्ववर्ती वाद या कार्यवाही में त्रुटिपूर्ण निर्णय उसी पक्षकारों के बीच बाद के वाद या कार्यवाही में न्यायिक निर्णय नहीं है, भले ही दूसरे वाद या कार्यवाही में उठाया गया मुद्दा प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक पूर्ववर्ती वाद या कार्यवाही में उठाए गए मुद्दे के समान हो। यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 को पढ़ने के बाद आता है, जो अदालत यह तय करती है कि मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अदालत होनी चाहिए।

सूट। जब धारा 11 के स्पष्टीकरण (I) के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि पहले वाले और बाद वाले दोनों मुकदमों का निर्णय ऐसे मुकदमों का परीक्षण करने के लिए सक्षम न्यायालयों में किया जाना चाहिए, क्योंकि "पहले वाला मुकदमा" एक स्थापित किया गया मुकदमा हो सकता है।

पहले मुक़दमे के बाद, लेकिन जो मुक़दमे से पहले तय किया गया है जो पहले स्थापित किया गया था। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में एक गलत निर्णय उस न्यायालय को अधिकार क्षेत्र के साथ नहीं पहन सकता है जहां उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। जाहिर है, एक दीवानी अदालत भारतीय दंड संहिता के तहत किए गए अपराध के लिए किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेज सकती है। यदि वह ऐसा करता है, तो ऐसा निर्णय मजिस्ट्रेट और/या सत्र न्यायालय को उन्हीं पक्षों के बीच बाद की कार्यवाही में बाध्य नहीं करेगा, जहां मजिस्ट्रेट उसी व्यक्ति को दंड संहिता के तहत उसी अपराध के लिए सजा देता है। समान रूप से, एक दीवानी न्यायालय एक मकान मालिक और एक किरायेदार के बीच एक किराए के अधिनियम के तहत दावा किए गए अधिकारों से उत्पन्न होने वाले मुकदमे का फैसला नहीं कर सकता है, जहां किराए का अधिनियम ऐसे मुकदमों का फैसला करने के लिए अधिकार क्षेत्र के साथ एक विशेष अदालत को तैयार करता है। एक उदाहरण के रूप में, बॉम्बे रेंट एक्ट, 1947 की धारा 28 के तहत, लघु कारण न्यायालय के पास एक-दूसरे के बीच की कार्यवाही की सुनवाई और निर्णय करने का विशेष अधिकार क्षेत्र है। बॉम्बे किराया अधिनियम से उत्पन्न होने वाले अधिकारों के संबंध में मकान मालिक और एक किरायेदार, और किसी अन्य न्यायालय के पास इसे शुरू करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस मामले

में, भले ही सिविल कोर्ट, किराया अधिनियम द्वारा बनाई गई वैधानिक रोक के अभाव में, ऐसे मुकदमों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा, लेकिन यह किराया अधिनियम द्वारा बनाई गई वैधानिक रोक है जिसे [2018] 3 एस. सी. आर. दिया जाना चाहिए।

सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में प्रभाव। (देखें, नटराज स्टूडियो (पी) लिमिटेड बनाम। नवरंग स्टूडियो और अन्र। , (1981) 2 482 पर एससीआर 466)। बॉम्बे रेंट एक्ट के तहत दावा किए गए अधिकारों के संबंध में एक किरायेदार के खिलाफ एक मकान मालिक द्वारा दायर मुकदमे को शुरू करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले सिविल कोर्ट के लिए एक गलत निर्णय, इसलिए, उसी मामले के संबंध में समान पक्षों के बीच लघु कारण अदालत के समक्ष दायर एक बाद के मुकदमे में प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक पूर्व के मुकदमे में मुद्दे के रूप में कार्य नहीं करेगा।

((ii) कानून का एक मुद्दा जो बाद के मुकदमे या कार्यवाही में एक ही पक्षकारों के बीच उत्पन्न होता है, न्यायिक नहीं है, यदि गलत तरीके से

पिछले वाद या कार्यवाही में प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से जारी किया गया। यह इस कारण से है कि ऐसे मामलों में, पक्षों के अधिकार विचार के लिए एकमात्र विषय नहीं हैं (जैसा कि एक क़ानून की अंतर-पक्षीय गलत व्याख्या का मामला है), क्योंकि वैधानिक निषेध में निहित सार्वजनिक नीति को शून्य पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह उसी कारण से है जो उन मामलों में निहित है जो कानून के मुद्दों से संबंधित हैं जो अधिकार क्षेत्र के सवाल उठाते हैं। हमने देखा है कि नटराज स्टूडियो (ऊपर) में, बॉम्बे रेंट एक्ट की धारा 28 में निहित वैधानिक निषेध की सार्वजनिक नीति को कैसे प्रभावी बनाया जाना है। इसी तरह, सार्वजनिक नीति अन्य वैधानिक निषेधों में निहित, जिन्हें अनिवार्य रूप से किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें समान रूप से प्रभावी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अन्यथा कानून के विशेष सिद्धांतों को पक्षकारों पर तब लागू किया जाता है जब विशेष

सार्वजनिक नीति आदेश से संबंधित विचार कि ऐसा नहीं किया जा सकता है।

((ग) इस सामान्य नियम का एक अन्य अपवाद इस बात से है कि यह मुद्दा पिछले वाद से अलग कानून का मुद्दा है या

आगे बढ़ रहे हैं। यह तब हो सकता है जब दूसरे मुकदमे या कार्यवाही में कानून का मुद्दा सीधे मामले के अलग-अलग तथ्यों पर आधारित हो और काफी हद तक पहले वाद या कार्यवाही में जारी किया गया। समान रूप से, जहां पहले के निर्णय के बाद से एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून में परिवर्तन किया जाता है, वहां बाद के मुकदमे या कार्यवाही में जारी मामला पिछले मुकदमे या कार्यवाही के समान नहीं है, क्योंकि व्याख्या की जाने वाली कानून अलग है।

34. इस मामले के तथ्यों पर, श्री मेहता ने हमें व्यापार चिह्न अधिनियम और बैंकिंग विनियमन में निहित वैधानिक निषेध का उल्लेख किया

एक्ट करें। संबंधित प्रावधान ट्रेड मार्क अधिनियम केनरा बैंक बनाम की धारा 45 हैं।

एन. जी. सुब्बाराया शेट्टी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 6 और 8 को धारा के साथ पढ़ा जाता है। उपरोक्त वैधानिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

" व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

45. असाइनमेंट और प्रसारण का पंजीकरण

(1) जहां कोई व्यक्ति किसी पंजीकृत व्यापार चिह्न पर समनुदेशन या संचरण द्वारा हकदार हो जाता है, वह अपना अधिकार पंजीकृत करने के लिए पंजीयक को निर्धारित तरीके से आवेदन करेगा, और पंजीयक, आवेदन प्राप्त होने पर और अपनी संतुष्टि के अनुसार स्वामित्व के प्रमाण पर, उसे व्यापार चिह्न के स्वामी के रूप में पंजीकृत करेगा।

माल या सेवाएँ जिनके संबंध में समनुदेशन या

संचरण का प्रभाव पड़ता है, और इसका कारण होगा रजिस्टर पर दर्ज किया जाने वाला कार्य या संचरण। बशर्ते कि जहां किसी कार्य या संचरण की वैधता पक्षों के बीच विवाद में है, वहां पंजीयक पंजीकरण करने से इनकार कर सकता है

जब तक एक सक्षम अदालत द्वारा पक्षों के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जाता है, तब तक असाइनमेंट या संचरण। (2) उप-धारा (1) के तहत पंजीयक के समक्ष आवेदन के उद्देश्य या उस पर किसी आदेश से अपील, या धारा 57 के तहत आवेदन या उस पर किसी आदेश से अपील के अलावा, एक दस्तावेज या साधन जिसके संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।

उप-धारा (1) के अनुसार रजिस्टर में किया गया, जिसे पंजीयक या अपीलीय बोर्ड द्वारा साक्षय में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

या समनुदेशन या संचरण द्वारा व्यापार चिह्न के स्वामित्व के प्रमाण में कोई न्यायालय जब तक कि पंजीयक या अपीलीय बोर्ड या

न्यायालय, जैसा भी मामला हो, अन्यथा निर्देश देता है। XXX XXX XXX

संलग्न हों। (1) बैंकिंग व्यवसाय के अलावा, एक बैंकिंग कंपनी निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक प्रकार के व्यवसाय में संलग्न हो सकती है।

अर्थात्:

(क) धन उधार लेना, जुटाना या लेना; प्रतिभूति पर या उसके बिना धन उधार देना या आगे बढ़ाना; आहरण, 3 एस. सी. आर. बनाना, स्वीकार करना, छूट देना, खरीदना, बेचना, संग्रह करना और सौदा करना।

विनिमय के नोटों, हंडियों, वचन पत्रों, कूपनों, मसौदों में,

माल के बिल, रेलवे रसीदें, वारंट, डिबेंचर, प्रमाण पत्र, स्क्रिप और अन्य उपकरण और प्रतिभूतियां चाहे हस्तांतरणीय हों। या परक्राम्य या नहीं; ऋण पत्र, यात्री चेक और परिपत्र नोटों को देना और जारी करना; सर्राफा और विशिष्ट मुद्राओं की खरीद, बिक्री और लेनदेन; विदेशी बैंक नोटों सहित विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री; स्टॉक, फंड, शेयर, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड, दायित्व, प्रतिभूतियों और सभी प्रकार के निवेशों में हामीदारी और लेनदेन; घटकों की ओर से बांड, स्क्रिप या अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री या

अन्य, ऋणों और अग्रिमों की बातचीत; जमा पर या सुरक्षित अभिरक्षा के लिए या अन्यथा सभी प्रकार के बांड, स्क्रिप या मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति; सुरक्षित जमा तिजोरी प्रदान करना; धन और प्रतिभूतियों का संग्रह और संचरण; (ख) किसी भी सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करना; किसी भी विवरण के एजेंसी व्यवसाय को चलाना जिसमें माल की समाशोधन और अग्रेषण, रसीदें और निर्वहन देना और अन्यथा एक एजेंट के रूप में कार्य करना।

ग्राहकों की ओर से वकील, लेकिन एक के व्यवसाय को छोड़कर

किसी कंपनी के प्रबंध अभिकर्ता या सचिव और खजांची; (ग) सार्वजनिक और निजी ऋणों के लिए अनुबंध करना और उनसे बातचीत करना और उन्हें जारी करना;

(घ) राज्य, नगरपालिका या अन्य ऋणों या किसी कंपनी, निगम या संघ के शेयरों, स्टॉक, डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक के किसी भी सार्वजनिक या निजी निर्गम को प्रभावी बनाना, बीमा करना, गारंटी देना, हामी देना, प्रबंधन और निष्पादन में भाग लेना और ऐसे किसी निर्गम के उद्देश्य से धन का ऋण देना;

(च) किसी भी संपत्ति का प्रबंधन, बिक्री और प्राप्ति जो संतुष्टि या आंशिक रूप से कंपनी के कब्जे में आ सकती है। उसके किसी भी दावे की संतुष्टि;

(छ) किसी ऐसी संपत्ति में किसी भी संपत्ति या किसी भी अधिकार, स्वामित्व या ब्याज का अधिग्रहण और धारण और आम तौर पर व्यवहार करना जो किसी भी ऋण या अग्रिम के लिए प्रतिभूति या प्रतिभूति का हिस्सा हो सकता है या जो ऐसी किसी प्रतिभूति से जुड़ा हो सकता है; केनरा बैंक v.

(ज) न्यासों का उपक्रम और निष्पादन; ((i) निष्पादक, न्यासी या अन्यथा के रूप में संपदाओं का प्रशासन करना;

(जे) कंपनी के कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों या ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों या संपर्कों को लाभान्वित करने के लिए गणना की गई संघों, संस्थानों, निधियों, न्यासों और सुविधाओं की स्थापना और समर्थन या सहायता करना; पेंशन और भत्ते और बीमा के लिए भुगतान करना; धर्मार्थ या परोपकारी के लिए धन की सदस्यता लेना या गारंटी देना।

कंपनी; (एम) किसी भी व्यक्ति या कंपनी के पूरे या व्यवसाय के किसी भी हिस्से का अधिग्रहण और उपक्रम, जब ऐसा व्यवसाय प्रकृति का हो।

इस उप-खंड में उल्लिखित या वर्णित;

(एन) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो कंपनी के व्यवसाय के प्रचार या उन्नति के लिए आनुषंगिक या अनुकूल हों;

(ओ) व्यवसाय का कोई अन्य रूप जो केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यवसाय के एक रूप के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है जिसमें किसी बैंकिंग कंपनी के लिए संलग्न होना वैध है।

(2) कोई भी बैंकिंग कंपनी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यवसायों के अलावा किसी भी प्रकार के व्यवसाय में संलग्न नहीं होगी।

XXX XXX XXX

8. व्यापार पर प्रतिबंध

धारा 6 या किसी अनुबंध में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बैंकिंग कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं की खरीद या बिक्री या विनिमय में सौदा नहीं करेगी, सिवाय [2018] 3 एस. सी. आर. के संबंध में।

उसे दी गई या उसके द्वारा धारण की गई प्रतिभूति की प्राप्ति, या किसी भी व्यापार में संलग्न होना, या संग्रह के लिए प्राप्त विनिमय पत्रों के संबंध में अन्य लोगों के लिए सामान खरीदना, बेचना या विनिमय करना। बातचीत या उसके ऐसे व्यवसाय के साथ जो धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट है:

बशर्ते कि यह धारा किसी ऐसे व्यवसाय पर लागू नहीं होगी जो उप-धारा (1) के खंड (ओ) के अनुसरण में निर्दिष्ट है।

धारा 6.

धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (क) में। XXX XXX XXX

46. सजाएं

(1) – (3) XXX XXX

(4) यदि इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है या यदि कोई हो

डिफ़ॉल्ट में बनाया गया है

((i) इस अधिनियम की किसी भी आवश्यकता या उसके तहत बनाए गए किसी आदेश, नियम या निर्देश या शर्त का पालन करना, या

((ii) किसी भी व्यक्ति द्वारा धारा 45 की उप-धारा (7) के तहत स्वीकृत योजना की शर्तों या उसके तहत दायित्वों का पालन करना। ऐसा व्यक्ति जुर्माने से दंडनीय होगा जिसका विस्तार हो सकता है -

एक करोड़ रुपये या इस तरह के उल्लंघन या चूक में शामिल राशि का दोगुना, जहां ऐसी राशि मात्रात्मक है, जो भी अधिक हो, और जहां उल्लंघन या चूक जारी है, और जुर्माने के साथ जो हर दिन एक लाख रुपये तक हो सकता है।

जिसके दौरान उल्लंघन या चूक जारी रहती है।

35. जहाँ तक व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 45 का संबंध है, यह दलील दी जाती है कि यह याचिका दोनों कार्यवाहियों के दौरान उठाई गई थी। जहाँ तक 2004 के मुकदमों का संबंध है, दिनांक 1 के फैसले में बैंक की ओर से ली गई उपरोक्त याचिका को दर्ज किया गया है, लेकिन इसे पैराग्राफ 44 और 56 में निम्नानुसार लिखा गया है:

“ 44. बैंक ने एन. जी. से प्राप्त दिनांकित असाइनमेंट डीड 8.10.2003 के आधार पर भी आगे के कदम उठाए हैं।

केनरा बैंक बनाम एन. जी. सुब्बाराया शेट्टी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सुब्बाराय सेट्टी और Ex.D2 के अनुसार ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में एक आवेदन दायर किया, जिसमें असाइनमेंट के पंजीकरण की मांग की गई

उनके द्वारा एन. सुब्बाराय सेट्टी से प्राप्त ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क के पंजीकृत मालिक, और बैंक ने भी भुगतान किया है

रजिस्ट्री ने उक्त आवेदन को यह तर्क देते हुए वापस कर दिया कि, पंजीकरण शुल्क समनुदेशनकर्ता और समनुदेशनकर्ता/द्वारा देय है।

ट्रेडमार्क के पंजीकृत मालिक को पुष्टि करने के लिए एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा

बैंक के पक्ष में ट्रेडमार्क का असाइनमेंट।

इसके बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाए गए हैं

ट्रेडमार्क द्वारा उठाई गई आपत्तियों का पालन करने के लिए बैंक

XXX XXX XXX 56. जहाँ तक मुद्दा नं. 1 और 2 ओ. एस. No.7018/2004 में उठाया गया है

संबंधित, चूंकि वादी बैंक, गलत निरूपण, धोखाधड़ी और अनुचित प्रभाव के आरोपों को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है बैंक पर एन. जी. सुब्बाराय सेट्टी द्वारा कथित रूप से खेला गया, वादी बैंक उनके द्वारा दिनांकित 8.10.2003 प्राप्त असाइनमेंट विलेख के कानूनी परिणामों से बच नहीं सकता है और यह नहीं माना जा सकता है कि बैंक द्वारा एन. जी. सुब्बराय सेट्टी से प्राप्त असाइनमेंट विलेख अप्रवर्तनीय है। इसलिए, मैं ओ. एस. 7018/2004 में उठाए गए 1 और 2 दोनों मुद्दों का जवाब नकारात्मक में देता हूं।

(2004 के ओ. एस. No.7018 में अंक संख्या 2 निम्नानुसार है: क्या टिफ़ यह साबित करता है कि ट्रेडमार्क के असाइनमेंट का विलेख, वादी और प्रथम प्रतिवादी में दर्ज किया गया है, कानून में लागू करने योग्य नहीं है?)

36. समान रूप से, जहां तक दूसरे वाद 08 में निचली अदालत के फैसले का संबंध है, उक्त याचिका को स्पष्ट रूप से उठाया गया और पलट दिया गया।

निम्नलिखित तरीके से:

" ..... प्रतिवादी नंबर 1 ने स्वयं मूल प्रस्तुत किया है

समनुदेशन विलेख और इस मामले में प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं

इस तर्क को उठाया गया कि असाइनमेंट डीड ट्रेड मार्क अधिनियम के अनुसार पंजीकृत नहीं है और इस प्रकार, उक्त दस्तावेज़ पर विचार नहीं किया जा सकता है। कुछ प्रक्रियाएँ हैं जो 5 दिनों के भीतर

ट्रेड मार्क के उपयोगकर्ता के परिवर्तन के संबंध में समनुदेशक ट्रेड मार्क प्राधिकरण को एक शपथ पत्र दायर करता है और प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं [2018] 3 एस. सी. आर. के पंजीकरण के लिए 5,000/- डी. डी. का भुगतान करके आवेदन दायर किया है।

दस्तावेज़। इसके बावजूद, ट्रेड मार्क प्राधिकरणों ने ट्रेड मार्क को पंजीकृत नहीं किया है और इस तरह, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि उक्त ट्रेड मार्क "ईनाडु" कानून के अनुसार पंजीकृत नहीं है और इस तरह, इसे किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा यह

तर्क दिया कि असाइनमेंट डीड में पंजीकृत नहीं है

कानूनों के अनुसार। लेकिन जब पहले के निर्णयों में समनुदेशन विलेख पर भरोसा किया गया है और पक्षों ने दस्तावेज़ के निष्पादन को स्वीकार कर लिया है, तो प्रतिवादी संख्या 1 फिर से यह तर्क नहीं दे सकता है कि उक्त समनुदेशन विलेख पंजीकृत नहीं है और किसी भी उद्देश्य के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। यह और कुछ नहीं बल्कि न्यायपालिका के विरुद्ध है जैसा कि वादी द्वारा तर्क दिया गया है

ऊपर बताए गए निर्णय "।

37. दिनांकित 31.7.2017 का विवादित निर्णय भी उक्त प्रस्तुति को दर्ज करता है और इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर देता है:

..... निर्विवाद रूप से, अपर्याप्त रूप से मुहर लगे असाइनमेंट डीड और ट्रेडमार्क के गैर-पंजीकरण के बारे में आधारों पर बैंक द्वारा तर्क दिया गया था, जिन पर ट्रायल कोर्ट ने ओ. एस. No.2832/2004 और ओ. एस. No.7018/2004 में विचार किया और संबोधित किया। ऐसी परिस्थितियों में, कार्यवाही के दूसरे दौर में वही आधार उठाते हुए, वह मुद्दा जिसमें मामला सीधे और काफी हद तक सुना गया है और अंत में एक ही पक्षकारों के बीच एक पूर्व मुकदमे में निर्णय लिया गया है, एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा दायर करना न्यायपालिका के विरुद्ध है। प्रतिवादी संख्या 1-बैंक को वर्तमान कार्यवाही में वही आपत्ति उठाने से रोक दिया गया है जो अंततः असाइनमेंट डीड को प्रतिवादी संख्या 1-बैंक पर कानूनी और बाध्यकारी मानते हुए तय किया गया है।

38. हमारी राय है कि व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 45 (2) में निहित वैधानिक निषेध को न्यायपालिका के विरुद्ध मानने में विचारण न्यायालय और प्रथम विलंबित न्यायालय दोनों ही पूरी तरह से गलत थे। यह है।

हम यह कहते हैं कि दोनों में से किसी भी न्यायालय ने धारा 45 का विज्ञापन करने और/या उसे लागू करने की जहमत नहीं उठाई है। ओ. एस. <आई. डी. 2 में निहित दूसरी कार्यवाही में ब्याज के साथ Rs.17,89,915/- की राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया था।1.4.2004 से 30.4.2007 की अवधि के लिए चालू करें। अभियोग के अनुच्छेद 8 में

सहायता मुकदमा इस प्रकार है:

" 8. वादी पहले ही ओ. एस. No.2832/2004 में प्रथम प्रतिवादी के खिलाफ देय राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर कर चुका है।

एन. जी. सुब्बाराया शेट्टी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

31.3.2004 के अंत तक उक्त असाइनमेंट डीड के तहत। वर्तमान वाद दावा के लिए कार्रवाई का कारण तब तक सामने नहीं आया था क्योंकि तब तक राशि देय नहीं हो गई थी अर्थात

अवधि 1.4.2004 से 30.4.2007 "।

39. स्पष्ट रूप से, इसलिए, 2008 का बाद का मुकदमा एक ऐसा मुद्दा उठाता है जो उसी द्वारा दायर पहले के मुकदमे में निहित मुद्दे से अलग है।

2004 में पार्टी। इसके अलावा, दिनांकित 27.4.2013 के फैसले में पहले के निर्णय ने एक लेनदेन को वैध घोषित किया है जो कानून द्वारा निषिद्ध है। एक सरसरी ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 45 (2) को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि असाइनमेंट विलेख, यदि अपंजीकृत है, तो असाइनमेंट द्वारा ट्रेडमार्क के स्वामित्व के प्रमाण में किसी भी न्यायालय द्वारा साक्षय में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जब तक कि न्यायालय स्वयं अन्यथा निर्देश न दे। इसलिए, यह स्पष्ट है कि पूर्व निर्णय द्वारा दिनांकित समनुदेशन विलेख पर किसी भी तरह की निर्भरता को न्यायनिर्णायक की याचिका द्वारा पवित्र नहीं किया जा सकता है, जब इस पर भरोसा किया जाता है

40. समान रूप से, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 6,8 और 46 (4) के संदर्भ से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि कोई बैंक इसका उपयोग नहीं कर सकता है। अगरबत्ती बेचने के लिए ट्रेडमार्क "ईनाडु"। इसे सीधे धारा 8 द्वारा बाधित किया जाएगा, जो स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि किसी भी चीज के बावजूद

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माल की बिक्री में सौदा, सिवाय इसके कि उसे दी गई या उसके द्वारा रखी गई प्रतिभूति की प्राप्ति के संबंध में। इसके अलावा, अनुदान ट्रेडमार्क "ईनाडु" का उपयोग करने और उस पर रॉयल्टी अर्जित करने के लिए तीसरे पक्ष को अनुमति स्पष्ट रूप से धारा 6 (1) के बाहर होगी और धारा 6 (2) द्वारा बाधित होगी जिसमें कहा गया है कि कोई भी बैंक किसी भी ट्रेडमार्क में संलग्न नहीं होगा।

उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यवसायों के अलावा अन्य प्रकार का व्यवसाय।

41. हालाँकि, श्री शांतकुमार महाले ने हमें धारा 6 (1) (च) और (छ) को ट्रेडमार्क के तहत वस्तुओं की बिक्री और/या किसी उप-कार्य से रॉयल्टी अर्जित करने की अनुमति के रूप में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हमारा विचार है कि ट्रेडमार्क को ऐसी संपत्ति नहीं कहा जा सकता है जो बैंक के किसी भी दावे की संतुष्टि या आंशिक संतुष्टि में बैंक के कब्जे में आई हो। हमारा आगे यह विचार है कि ट्रेडमार्क उन ऋणों या अग्रिमों के लिए किसी भी प्रतिभूति का हिस्सा नहीं हैं जो पहले प्रतिवादी को दिए गए हैं, या उसी से जुड़े हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दिनांकित समनुदेशन विलेख स्पष्ट रूप से बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 46 (4) में निहित दंड प्रावधान के साथ पठित धारा 6 (2) और धारा 8 द्वारा प्रभावित है।

42. अपील की अनुमति दी जाती है और विचारण न्यायालय का निर्णय और प्रथम अपीलीय न्यायालय को दरकिनार कर दिया जाता है। नतीजतन, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर 2008 का ओ. एस. <आई. डी. 1 खारिज हो जाएगा।

निधि जैन